


# एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)



एमएनएच

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा  
2021-22

पंजीकृत कार्यालय : आनंद विहार, डाकघर – जागृति विहार,  
संबलपुर, ओडिशा, 768020

## विषय - सूची

| क्रमांक | विषय   | पृ. सं. |
|---------|--|---------|
| 1.      | कंपनी की जानकारी                                   | 01-02   |
| 2.      | सूचना  | 03-04   |
| 3.      | निदेशकों का प्रतिवेदन                              | 05-12   |
| 4.      | स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन                | 13-24   |
| 5.      | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां | 25      |
| 6.      | सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन                       | 26-29   |
| 7.      | वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण                  | 30-93   |

## कंपनी की जानकारी

### निदेशक मंडल :

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| श्री के.आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732) | अध्यक्ष (06.12.2021 से प्रभावी) |
| श्री एस.के. पाल (डीआईएन: 09034709)      | निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)  |
| श्री आर.विक्रमन (डीआईएन:07601778)       | निदेशक (09.08.2018 से प्रभावी)  |
| श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)     | निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)  |
| श्री अनिल मलिक (डीआईएन: 00170411)       | निदेशक (20.12.2019 से प्रभावी)  |

### मुख्य कार्यकारी अधिकारी:

श्री एस. घोष

### मुख्य वित्तीय अधिकारी:

श्री ए.के. बेहुरा

### कंपनी सचिव:

श्री सुमंत कुमार बेहेरा

### सांविधिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स बिनोद के.अग्रवाल एंड एसोसिएट्स,  
सनदी लेखाकार,  
टिटलागढ़, ओडिशा ।

### सचिवीय लेखा परीक्षक:

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स,  
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी  
बिल्डिंग नंबर एफ/3, सहयोग नगर,  
बुढाराजा, संबलपुर, ओडिशा-768004

**बैंकर्स:**

भारतीय स्टेट बैंक,  
एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा,  
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020.

यूको बैंक  
जागृति विहार शाखा,  
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020.

एक्सिस बैंक लिमिटेड  
आरआर मॉल, अशोका टॉकिस रोड,  
वी.एस.एस. मार्ग, संबलपुर - 768001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,  
कोलकाता बाजार के बाजू में,  
गोल बाजार, संबलपुर - 768001

एचडीएफसी बैंक,  
टंकपानी रोड, भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय:  
आनंद विहार,  
पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा -768020

संदर्भ :MCL/MNH/SBP/CS/2022/

दिनांक :14.07.2022

सूचना  
14वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 14 वार्षिक आम बैठक बुधवार , 20 जुलाई,2022 को शाम 5.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, आनंद विहार, पीओविहार जागृति-संबलपुर, उड़ीसा,768020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी।  
सामान्य कार्य

1. 3131 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2022 को लेखा परीक्षा तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए और साधारण संकल्प के रूप में, संशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते एमएनएच शक्ति लिमिटेड

ह/-

एस.के.बेहेरा  
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

आनंद विहार, पोस्टजागृति विहार -, बुर्ला, संबलपुर-768020

### नोट-

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य स्वयं के बदले उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार है और उस प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्य और बैठक में उनकी ओर से अपने प्रतिनिधि को भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, (1)101 की धारा 2013के तहत प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

#### सदस्य गण:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020।  
(ध्यान दें : कंपनी सचिव, एमसीएल)।
2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (नेवेली लिग्राइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नेवेली हाउस नंबर 13 जे, पेरियार ईवीआर हाई रोड, किलपौक, चेन्नई-600010 (ध्यान दें : कंपनी सेक्रेटरी, एनएलसी)।
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी भवन, तीसरी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुंबई-400025  
(ध्यान दें : कंपनी सचिव, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड)।

#### लेखापरीक्षकगण:

1. मेसर्स बिनोद के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, टिटलागढ़, ओडिशा
2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), पुराना निज़ाम प्लेस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड 4/234, कोलकाता 700020-
3. मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिल्डिंग नंबर एफ3/, सहयोग नगर बुढारजा, संबलपुर, ओडिशा 768004-

#### निदेशक:

1. सभी निदेशक, एमएनएच शक्ति लिमिटेड बोर्ड

## निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में  
शेयरधारकगण  
एमएनएच शक्ति लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं आपकी कंपनी की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूँ।

एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 6.5 एमटीवाई क्षमता वाली तलाबीरा-III खान की परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार ने जून, 2002 में अनुमोदित किया था। किन्तु, योजना आयोग ने परियोजना रिपोर्ट को उच्च क्षमता के साथ संशोधित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, 6.5 एमटीवाई की परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2004 में वापस ले ली गई। तत्पश्चात, हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रभाग आदित्य एल्यूमिनियम एवं नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उनकी कैप्टिव खपत हेतु तलाबीरा-II खान के आवंटन के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने तलाबीरा-II व तलाबीरा-III की खानें संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन और हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने ये खानें संयुक्त रूप से एमसीएल, एनएलसी और एचआईएल को 10 नवंबर, 2005 को आवंटित की थी। केन्द्र सरकार ने कोयले संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम नियोजन सुनिश्चित करने के लिए तलाबीरा II और तलाबीरा-III कोयला ब्लॉकों को 20 एमटीवाई क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता सहित तलाबीरा ओसीपी नामक खान बनाकर, एक तरफ एमसीएल और दूसरी तरफ एनएलसी व एचआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया। संयुक्त उद्यम कंपनी में एमसीएल की इक्विटी 70% होगी जबकि शेष 30% इक्विटी मेसर्स नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन एवं मेसर्स हिंडालको की अर्थात् प्रत्येक की 15% होगी। तदनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत की गई। तलाबीरा ओसीपी (20 एमटीवाई) की परियोजना रिपोर्ट को कोल और ओवरबर्डेन आउटसोर्सिंग दोनों प्रकार के प्रारंभिक पूंजी परिव्यय के लिए दिनांक 29.03.2008 को 447.72 करोड़ के पूंजी लागत के साथ एमसीएल बोर्ड (एक मिनीरत्न कंपनी) द्वारा अपने 94वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और उसी को एमएनएच शक्ति बोर्ड द्वारा 15 जुलाई, 2010 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

परियोजना में 994.5 हेक्टेयर कोयला धारित क्षेत्र हैं जो एफ1-एफ1 पश्चिम गैर कोयला क्षेत्र से सीमावद्ध है। पूर्वी सीमा को भू-गर्भीय ब्लॉक सीमा/गैर-कोयला क्षेत्र से चिह्नित किया गया है। उत्तरी सीमा को ईब नदी से परिभाषित किया गया है और दक्षिण में तलाबीरा-I खान की साक्षी सीमा है, जिसका संचालन हिंडालको कर रहा है।

इस ब्लॉक का खनन योग्य भंडार 553.98 मी.टन.(ईब सीम व रामपुर सीम में) है। खान स्ट्रीपिंग 1:1.09 के अनुपात में कार्य करेगी। अधिकांश कोयला जी-11 एवं जी-17 श्रेणी के हैं जो थर्मल पावर के लिए उपयुक्त है। 20 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खान की आयु 34वर्ष है।

वर्तमान स्थिति:

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2014 को भारत सरकार की स्क्रीनिंग समिति द्वारा किए गए कोयला ब्लॉक के आवंटन पर निर्णय दिया है, क्योंकि सरकारी वितरण मार्ग द्वारा किए गए आवंटन मनमाने और अवैध हैं। निजी पार्टियों या सरकारी कंपनी जिनका निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम है, को आवंटित कोल ब्लॉक 1993 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर तलाबीरा-II एवं III के कोयला ब्लॉक भी 24.09.2014 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये गए हैं।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान)अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी पत्रसंख्या-103/1/2016/एनए, दिनांक-17 फरवरी, 2016 के तहत नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड को तलाबीरा II एवं III के कोयला खान के आवंटन से संबंधित निर्णय का सम्प्रेषण किया गया और पूर्व आवंटि से देय मुआवजा राशि के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी, यह जानकारी पूर्व आवंटि अर्थात एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा 29 फरवरी, 2016 को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, प्रगतिशील कार्यों में लगी पूंजी और अमूर्त परिसंपत्ति में खर्च किये गए राशि के लिए नए आवंटि से मुआवजा प्राप्त करने का हक रखती है। कोयला खान (विशेष प्रावधान)अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटि के पत्रांक-110/13/2015/एनए, दिनांक-12.09.2016 के अनुसार भौगोलिक रिपोर्ट की लागत एवं मुआवजा हेतु राशि भुगतान आयुक्त, कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें तलाबीरा II एवं III कोयला खान की मुआवजा राशि रु. 15,88,94,332 शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि हस्तांतरित की।

पुनः नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटि के दिनांक-01.12.2016 के पत्रांक 110/9/2015/एनए(भाग-II) के तहत आधारभूत संरचना की लागत हेतु मुआवजा राशि भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें सिर्फ तलाबीरा II एवं III के कोयला खान की मुआवजा राशि-2,66,56,000 रुपये (2 करोड़ 66 लाख 56 हजार रुपये) शामिल है। तदोपरांत कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से मुआवजा राशि हस्तांतरित की।

कंपनी गैर सरकारी वन भूमि के लिए राज्य सरकार से रु. 26.58 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि पाने का हकदार है। अभी तक कंपनी को नामित प्राधिकारी से राशि नहीं मिली है। इस राशि को तय समय में पूर्व आवंटियों को वितरित किया जाएगा।



दिनांक 15 नवंबर, 2017 को संबलपुर में आयोजित एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 42 वीं बोर्ड बैठक में प्रत्येक रु. 10/- (रुपए केवल दस) के 5,00,00,000 (पाँच करोड़) पूर्ण रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को रद्द करने के माध्यम से एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी को 85.10 करोड़ से घटाकर 35.10 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 58.75%, जो कुल रु. 50,00,00,000 (पचास करोड़) का होता है, सामान्य बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, विशेष संकल्प और संयुक्त उद्यम भागीदारों की सहमति से समेकित किया जाएगा। एनसीएलटी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के बाद, नवंबर, 2021 के महीने में 50 करोड़ रुपये को उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग अनुपात के साथ संयुक्त उद्यम के बीच वितरित किया गया।

**ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च:**

उपरोक्त मामलों पर कोई जानकारी देना आवश्यक नहीं है क्योंकि कंपनी का निगमन 2008-09 में हुआ है और इस प्रकार की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

**जोखिम प्रबंधन:**

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए हैं, भू-अधिग्रहण, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है।

**संबंधित पार्टी लेनदेन:**

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण रूप से पार्टी संबंधित लेन-देन नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

**ऋण गारंटी और निवेशों का विवरण:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और (11) तथा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त कर उसका खुलासा किया गया है।

**निगरानी तंत्र/विहिसल ब्लोअर नीति:**

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले हैं।

**नामांकन समिति:**

कंपनी ने नामांकन समिति का गठन अभी तक नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी ने वर्ष के दौरान विकास के तहत सीएसआरगतिविधियों की दिशा में कोई व्यय नहीं किया है।

पूंजीगत संरचना:

कंपनी का 31.03.2022को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रु.3510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्वरूप प्रदान की है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं:-

| (रु. लाख में)                |         |
|------------------------------|---------|
| शेयरधारकों के नाम            | राशि    |
| महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड    | 2457.00 |
| एनएलसीइंडिया लिमिटेड         | 526.50  |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 526.50  |

वित्तीय समीक्षा

कंपनी द्वारा तलाबीरा II और तलाबीरा III की खदानों को हटा दिया गया था। अतः कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किया गया। लेखा के मुख्य वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

31 मार्च, 2022के अनुसार तुलनपत्र मद

| (रु. लाख में) |   |                             |                             |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| क्र.          | विवरण   | 31 मार्च, 2022<br>के अनुसार | 31 मार्च, 2021 के<br>अनुसार |
| 1             | अधिकृत शेयर पूंजी                                 | 10000.00                    | 10000.00                    |
| 2             | प्रदत्त शेयर पूंजी                                | 3510.00                     | 8510.00                     |
| 3             | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण                         | 0.91                        | 1.06                        |
| 4             | नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)                  | 1352.85                     | 6262.19                     |
| 5             | चालू परिसंपत्ति (नगद तथा नगद के समकक्ष को छोड़कर) | 2917.79                     | 2900.39                     |
| 6             | चालू देयताएँ                                      | 116.32                      | 94.67                       |

लाभ एवं हानि के विवरण का सार

(रु. लाख में)

| क्र. | विवरण         | चालू वर्ष<br>2021-22 | पूर्व वर्ष 2020-<br>2021 |
|------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | अन्य आय       | 146.67               | 210.94                   |
| 2    | अन्य व्यय     | 31.25                | 39.43                    |
| 3    | मूल्यहास      | 0.15                 | 0.15                     |
| 4    | कर पूर्व लाभ  | 115.27               | 171.36                   |
| 5    | कर व्यय       | 29.01                | 43.13                    |
| 6    | कर पश्चात लाभ | 86.26                | 128.23                   |
| 7    | ईपीएस (रु.)   | 0.13                 | 0.15                     |

**लेखापरीक्षक :**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2021-22 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया:-

मेसर्स विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकर,  
टिटलागढ़, ओडिशा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 के अंतर्गत निम्नलिखित फर्म को वर्ष 2021-22 के सचिबीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिबीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया:-

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स,  
अभ्यासी (प्रेक्टिसिंग) कंपनी सचिव  
बिल्डिंग नं. एफ/3, सहयोग नगर  
बुढाराजा, सम्बलपुर, ओडिशा-768004.

**वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22**

**निदेशक मंडल**

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थे :

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| श्री बी. सिंह (डीआईएन: 08745789)         | अध्यक्ष (06.12.2021तक)          |
| श्री के. आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732) | अध्यक्ष (06.12.2021 से प्रभावी) |
| श्री ए. के. सिंह(डीआईएन - 07601778)      | निदेशक (16.01.2022 तक)          |
| श्री एस. के. पाल (डीआईएन: 09034709)      | निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)  |
| श्री एस. एम. झा(डीआईएन: 08522125)        | निदेशक (16.01.2022 तक)          |
| श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)      | निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)  |
| श्री आर. विक्रमन (डीआईएन - 07601778)     | निदेशक (09.08.2018 से प्रभावी)  |
| श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)       | निदेशक (20.12.2019 से प्रभावी)  |

**16. बोर्ड की बैठकें :**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अवधि के साथ नीचे दिया जा रहा है :

| बैठक संख्या       | बैठक की तिथि | बैठक आयोजन स्थल          |
|-------------------|--------------|--------------------------|
| 54 <sup>वाँ</sup> | 03.05.2021   | एमसीएल कार्यालय, संबलपुर |
| 55 <sup>वाँ</sup> | 29.09.2021   | एमसीएल कार्यालय, संबलपुर |
| 56 <sup>वाँ</sup> | 17.01.2021   | एमसीएल कार्यालय, संबलपुर |

निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोर्ड की संरचना का विवरण :-

| निदेशकों के नाम                         | श्रेणी        | बोर्ड बैठकें      |             |
|---|---------------|-------------------|-------------|
|   |               | अवधि में हुई बैठक | उपस्थित हुए |
| श्री बी. सिंह (डीआईएन: 08745789)        | गैर-कार्यकारी | 2                 | 2           |
| श्री के.आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732) | गैर-कार्यकारी | 1                 | 1           |
| श्री एस.एम. झा (डीआईएन: 08522125)       | गैर-कार्यकारी | 2                 | 2           |
| श्री आर. विक्रमन (डीआईएन - 07601778)    | गैर-कार्यकारी | 3                 | 3           |
| श्री ए.के. सिंह (डीआईएन - 07601778)     | गैर-कार्यकारी | 2                 | 2           |
| श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)      | गैर-कार्यकारी | 3                 | 3           |
| श्री ए.के. सिंह (डीआईएन: 09501892)      | गैर-कार्यकारी | 1                 | 1           |
| श्री एस.के. पाल (डीआईएन: 09034709)      | गैर-कार्यकारी | 1                 | 1           |

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि-

1. 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा को 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

**कर्मचारियों का विवरण :**

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में सूचना कंपनी नियमावली 2014 के तहत अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी। अधिनियम की धारा-136 के तहत कर्मचारियों से संबंधित सूचना को छोड़कर कंपनी के सदस्यों तथा अन्य हकदारों की रिपोर्ट तथा खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, वार्षिक आम बैठक की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु उपलब्ध विवरणों का निरीक्षण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सदस्यों द्वारा की जाएगी। यदि कोई सदस्य इसका निरीक्षण करने में रुचि रखते हैं, तो ऐसे सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम लिख सकते हैं।

**बैंकों का नाम तथा पता :**

| क्र. | नाम                   | शाखा का पता  |
|------|-----------------------|--|
| 1    | भारतीय स्टेट बैंक     | एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला,<br>संबलपुर- 768020    |
| 2    | यूको बैंक             | जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला,<br>संबलपुर-768020 |
| 3    | एक्सिस बैंक लिमिटेड   | आर.आर.मॉल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग,<br>संबलपुर- 768001       |
| 4    | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | कोलकाता बाजार के बगल में, गोल बाजार, संबलपुर- 768001                 |
| 5    | एचडीएफसी बैंक         | टंकापानी रोड, भुवनेश्वर  |

## वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट/सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा जाये जो कि स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी ने सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त की है जो संलग्न है।

वार्षिक रिटर्न का सार

फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न के सार को इसके साथ संलग्न किया गया है।

आभार

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा दिए गए बहुमूल्य निर्देशन, सहयोग तथा सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय, लेखापरीक्षकों, अधिकारियों और महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक-I)
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। (अनुलग्नक-II)
3. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (अनुलग्नक -III)

ह/-

(के. आर. वासुदेवन)

अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड

डीआईएन: 07915732

दिनांक :

स्थान: संबलपुर

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवामें  
सदस्यगण  
एमएनएच शक्ति लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इकट्टी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (एतत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारी मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैं तथा 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके लाभ, इकट्टी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे वृत्तिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन मामलों को समग्र रूप से हमारी राय बनाने एवं वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इन मामलों में हम अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

अंकेक्षण मानक 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मौलिक लेखापरीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

### वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें बोर्ड का रिपोर्ट तथा उसके अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारियों की संपुष्टि नहीं करती है और हम ऐसे आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय उन तथ्यों पर भी, विचार करते हैं जो अन्य जानकारी यथा: वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वे जानकारी जो भौतिक रूप से गलत पाया गया हो।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री यदि गलत हैं, तो हम उन तथ्यों की रिपोर्ट करते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में संबंधित मामलों के निपटान के लिए कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कथन का सही और निष्पक्षता देते हैं। कंपनी के इकट्टी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाये रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने व बनाए रखे, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराते हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी। गलतियाँ



धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रूप से यह इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का घोषणा सहित मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन विधि के लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों

में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन:

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है, के तहत हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार है:
  - i. हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद थे।
  - ii. हमारी राय में, अब तक के उन बहियों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को कंपनी ने रखा है।
  - iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इकटिटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।
  - iv. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।
  - v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
  - vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।
  - vii. अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमें सूचित किया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
  - viii. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रतिनिधित्व किया है कि कंपनी द्वारा कोई भी फंड को अग्रिम या उधार या निवेश किसी भी निधि(या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर

- प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) को कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, चाहे लिखित रूप दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, सीधे किसी भी निधि का या कंपनी द्वारा या ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करने के संबंध में निवेश नहीं किया गया है।
- ix. अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, तथा
- x. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने परिस्थितियों को उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (1) और (2) के तहत भौतिक रूप से कोई गलत विवरण है।
- xi. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- क. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
- ख. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में अंतरित करने में विलंब नहीं होती है।
- घ. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 का अनुपालन नहीं होता है।

कृते विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 320167ई

ह/-

(वी.के. अग्रवाल)

सामनेदार

सदस्यता संख्या. 055209

यूडीआईएन: 22055209AINNVR6650

स्थान: संबलपुर

तिथि: 06.05.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि-

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

- क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति एवं संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- ख. उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई एवं हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता उचित है।
- ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई शीर्षक विलेख नहीं है।
- घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) क) कंपनी के पास कोई सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

- क. कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या स्थायी गारंटी की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या किसी अन्य संस्था को सुरक्षा प्रदान नहीं की है और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें मुख्य दृष्ट्या हैं, जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

- ग. स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के चुकौती की समय-सारणी निर्धारित की गई है और मूलधन का भुगतान और ब्याज की प्राप्ति आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।
- घ. कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।
- ङ. कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है या एक ही पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए दिए गए विस्तारित या नए ऋण का नवीनीकरण नहीं किया गया है।
- च. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों के लिए सुरक्षित या असुरक्षित, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम नहीं दिया है।

- iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में कोई मामला नहीं बनता है।
- v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में:
- क. हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशियों जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं, को जमा करने में नियमित रही है।

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2022 को आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है :-

| क्र. | अधिनियम का नाम | देय राशि की प्रकृति | राशि (रु. लाख में) | राशि से संबंधित अवधि          | फोरम जहां विवाद लंबित है |
|------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.   | आयकर अधिनियम   | आयकर                | 336.43             | 2011-12<br>2012-13<br>2013-14 | सीआईटी(ए), संबलपुर       |

उपरोक्त के अलावा रु. 257.47 लाख की राशि आयकर के लिए एवं रु.20.87 लाख की राशि सेवा कर के लिए जमा की गई है।

- viii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं किया गया था।
- ix) क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जान-बूझकर दोषी घोषित नहीं किया गया है।  
ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
ङ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।  
च. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- x) क)कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
ख)वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय ऋण पत्र (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xi) क)वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।  
ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट इस रिपोर्ट की तिथि तक दर्ज नहीं किये गए हैं।  
ग) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी द्वारा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कोई विहसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- xiii) कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।
- xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(क) और (xiv)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए पूर्व-संचालन खर्चों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।
- xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- xix) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि में मौजूद अपनी देनदारियों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियां गिरावट के कारण कंपनी द्वारा खारिज कर दी गई हैं।
- xx) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 320167ई

ह/-

(बी.के. अग्रवाल)

साझेदार

सदस्यता संख्या : 055209

स्थान: संबलपुर

यूडीआईएन: 22055209AINNVR6650

तिथि: 06.05.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 2

एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

| क्र.सं. | विशेष   | लेखा परीक्षकों का जवाब   |
|---------|---|--|
| 1       | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए। | कंपनी के खाते टैली.ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में रखे जाते हैं, जिसमें सभी डेटा को मैनुअल फीडिंग के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। चूंकि कोई विनिर्माण और अन्य लेनदेन नहीं हैं, इसलिए रिपोर्टिंग के लिए अन्य खंड लागू नहीं होते हैं। |
| 2       | क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण / बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।                  | हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन/ छूट/बट्टे खाते में ऋण/उधार/ ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।  |
| 3       | क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।  | हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।  |

कृते विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 320167ई

ह/-

(बी.के. अग्रवाल)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 055209

यूडीआईएन: 22055209AINNVR6650

स्थान: संबलपुर

तिथि: 06.05.2022



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप-खण्ड 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

31 मार्च, 2022 कंपनी के रूप में एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

**वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय किया जा रहा है। (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोगव कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

**वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ:**

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

**मत**

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च, 2022 के अनुसार ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कृते बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 320167ई

ह/-

(बी.के. अग्रवाल)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 055209

स्थान: संबलपुर

यूडीआईएन: 22055209AINNVR6650

तिथि: 06.05.2022

अनुलग्नक -II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत एमएनएच शक्ति लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख उनके द्वारा दिनांक 06 मई 2022 को की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पृच्छताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की  
ओर से

हस्ताक्षर/-

(मौसूमी राय भट्टाचार्य)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल)  
कोलकाता

स्थान : कोलकाता  
दिनांक: 08.07.2022

**फॉर्म संख्या.एम.आर.-3**

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी के नियम संख्या 9 के अनुसार  
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014]

सेवा में  
सदस्यगण  
एमएनएच शक्ति लिमिटेड  
आनंद विहा,  
डाकघर. जागृति विहार, बुर्ला  
संबलपुर, ओडिशा -768020  
भारत

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मैसर्स द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड (एतत्पश्चात 'कंपनी' कहा जाता है)। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कंपनी की बहीयों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जांच के आधार पर हमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया है कि कंपनी ने लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं।

1. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:
  - (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), और उसके तहत बनाए गए नियम;
  - (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम, निर्दिष्ट धाराओं के लिए उस हद तक जो अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं।
  - (iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
  - (iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
  - (v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

- (vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (viii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( आंतरिक व्यापार का निषेध ) विनियमन, 1992, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (ix) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना ) नियमन, 2009; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (x) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना व कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (xi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण नियम) 2008, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक ) नियमन , 1993: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- (xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति का बायबैक) नियमन 1998, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
2. हमने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए लागू अन्य प्रणालियों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी के लिए लागू हेड/अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के समूहों की सूची इस प्रकार है :
- क. फैक्टरी अधिनियम, 1948,
- ख. औद्योगिकविवाद अधिनियम, 1947;
- ग. ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन श्रमिकों, आदि से संबंधित औद्योगिक कानून;
- घ. खनन गतिविधियों से संबंधित अधिनियम ;
- ङ. कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों या श्रमिकों से संबंधित या तो उसके पेरोल पर या मजदूरी, बोनस, उपदान, भविष्यनिधि, ईएसआईसी, क्षतिपूर्ति, मातृत्वलाभ, श्रमकल्याण, आदि से संबंधित अनुबंध के आधार पर श्रमकानून तथा अन्य आकस्मिक कानून;
- च. पर्यावरण और संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम ;
- छ. अनुबंध, स्टैम्पस, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून ;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशकमंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था। कार्यसूची और कार्यसूची विषय पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले अग्रिम रूप में भेजे गए थे तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची के विषय पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो तो उन्हें बैठक के हिस्से के रूप में कैप्चर एवं दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और कंपनी के आकार और संचालन के साथ उसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस सुशांत प्रधान

सदस्यता संख्या: 29239

सी.पी. सं : 14238

यूडीआईएन: A029239D000473111

स्थान: संबलपुर

दिनांक : 08.06.2022

इस रिपोर्ट को हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे 'अनुलग्नक - क' के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक क'

सेवा में  
सदस्यगण  
एमएनएच शक्ति लिमिटेड  
आनंद विहार, डाकघर. जागृति विहार, बुर्ला  
संबलपुर, ओडिशा - 768020  
भारत

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ जिनका हमने अनुसरण किया है, हमारे विचार को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों आदि के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस सुशांत प्रधान

सदस्यता संख्या: 29239

सी.पी. सं : 14238

यूडीआईएन: A029239D000473111

स्थान: संबलपुर

दिनांक : 08.06.2022

एमएनएच शक्ति लिमिटेड  
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)  
31 मार्च 2022 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹. लाख में)

|   | टिप्पणी<br>संख्या | 31.03.2022<br>तक | 31.03.2021<br>तक |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>परिसंपत्तियाँ</b>                      |                   |                  |                  |
| <b>गैर- चालू परिसंपत्तियाँ</b>            |                   |                  |                  |
| (क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण            | 3                 | 0.91             | 1.06             |
| (ख) पूंजीगत कार्य प्रगति                  | 4                 | -                | -                |
| (ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ | 5                 | -                | -                |
| (घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ                  | 6.1               | -                | -                |
| (ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ     | 6.2               | -                | -                |
| (च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ                 |                   |                  |                  |
| (i) निवेश                                 | 7                 | -                | -                |
| (ii) ऋण                                   | 8                 | -                | -                |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ          | 9                 | -                | -                |
| (छ) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)        |                   | -                | -                |
| (ज) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ         | 10                | -                | -                |
| <b>कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)</b>   |                   | <b>0.91</b>      | <b>1.06</b>      |
| <b>चालू परिसंपत्तियाँ</b>                 |                   |                  |                  |
| (क) वस्तु सूची                            | 12                | -                | -                |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्ति                    |                   |                  |                  |
| (i) निवेश                                 | 7                 | -                | -                |
| (ii) व्यापार प्राप्त्य                    | 13                | -                | -                |
| (iii) नकद एवं नकद समकक्ष                  | 14                | 1,352.85         | 6,262.19         |
| (iv) अन्य बैंक शेष                        | 15                | -                | -                |
| (v) ऋण                                    | 8                 | -                | -                |
| (vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ           | 9                 | 2,433.64         | 2,413.73         |
| (ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)          |                   | 205.81           | 208.32           |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ               | 11                | 278.34           | 278.34           |
| <b>कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)</b>         |                   | <b>4,270.64</b>  | <b>9,162.58</b>  |
| <b>कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)</b>            |                   | <b>4,271.55</b>  | <b>9,163.64</b>  |



31 मार्च 2022 के अनुसार तुलन-पत्र

|  | टिप्पणी संख्या | 31.03.2022 तक   | 31.03.2021 तक   |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| (₹. लाख में)   |                |                 |                 |
| <b>इक्विटी एवं देयताएँ</b>                                 |                |                 |                 |
| <b>इक्विटी</b>   |                |                 |                 |
| (क) इक्विटी शेयर पूंजी                                     | 16             | 3,510.00        | 8,510.00        |
| (ख) अन्य इक्विटी   | 17             | 645.23          | 558.97          |
| कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी           |                | 4,155.23        | 9,068.97        |
| गैर नियंत्रित ब्याज  |                | -               | -               |
| <b>कुल इक्विटी (क)</b>                                     |                | <b>4,155.23</b> | <b>9,068.97</b> |
| <b>देयताएँ</b>   |                |                 |                 |
| <b>गैर-चालू देयताएँ</b>                                    |                |                 |                 |
| (क) वित्तीय देयताएँ  |                |                 |                 |
| (i) उधार   | 18             | -               | -               |
| (ii) पट्टा देयताएं   |                | -               | -               |
| (iii) व्यापार देय  |                | -               | -               |
| (iv) अन्य वित्तीय देयताएँ                                  | 20             | -               | -               |
| (ख) प्रावधान   | 21             | -               | -               |
| (ग) अस्थगित कर देयताएं (निवल)                              |                | -               | -               |
| (घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ                                  | 22             | -               | -               |
| <b>कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)</b>                            |                | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>चालू देयताएँ</b>  |                |                 |                 |
| (क) वित्तीय देयताएँ  |                |                 |                 |
| (i) उधार   | 18             | -               | -               |
| (ii) पट्टा देयताएं   |                | -               | -               |
| (iii) व्यापार देय  | 19             | -               | -               |
| (i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि               |                | -               | -               |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि |                | -               | -               |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएँ                                 | 20             | 116.22          | 94.55           |
| (ख) अन्य चालू देयताएँ                                      | 23             | 0.10            | 0.12            |
| (ग) प्रावधान   | 21             | -               | -               |
| (घ) अन्य चालू देयताएं                                      |                | -               | -               |
| <b>कुल चालू देयताएँ (ग)</b>                                |                | <b>116.32</b>   | <b>94.67</b>    |
| <b>कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)</b>                     |                | <b>4,271.55</b> | <b>9,163.64</b> |

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(एस.के.बेहेरा)  
कंपनी सचिव

ह/-  
ए. के. सिंह  
निदेशक  
डीआईएन: 09501892

ह/-  
(ए. के. बेहरा)  
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-  
(एस. घोष)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार  
मेसर्स विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

ह/-  
के.आर.वासुदेवन  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07915732

दिनांक:  
स्थान:सम्बलपुर

ह/-  
(सीए विनोद कुमार अग्रवाल)  
साझेदार  
(सदस्यता संख्या. 055209)  
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

एमएनएच शक्ति लिमिटेड  
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)  
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹. लाख में)

|   | टिप्पणी | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   | संख्या  |                                     |                                     |
| <u>प्रचालन से राजस्व</u>  |         |                                     |                                     |
| क. विक्रय (सांविधिक लेवी का निवल)                                       | 24      | -                                   | -                                   |
| ख.अन्य प्रचालन राजस्व (वैधानिक लेवी का निवल)                            |         | -                                   | -                                   |
| <u>i.प्रचालन से राजस्व (क+ख)</u>  |         |                                     |                                     |
| ii.अन्य आय  | 25      | 146.67                              | 210.94                              |
| iii.कुल आय (i+ii)   |         | 146.67                              | 210.94                              |
| <u>(IV) व्यय</u>  |         |                                     |                                     |
| खपत की गई सामग्री की लागत   | 26      | -                                   | -                                   |
| व्यापार में स्टॉक की खरीद   |         | -                                   | -                                   |
| निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं            |         |                                     |                                     |
| व्यापार में स्टॉक   | 27      | -                                   | -                                   |
| कर्मचारी लाभ व्यय   | 28      | 17.77                               | 29.09                               |
| ऊर्जा व्यय  |         | -                                   | -                                   |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय  | 29      | -                                   | -                                   |
| मरम्मत  | 30      | -                                   | -                                   |
| संविदात्मक व्यय   | 31      | -                                   | -                                   |
| वित्त लागत  | 32      | 3.49                                | 2.17                                |
| मूल्यहास/परिशोधन/हानि व्यय  |         | 0.15                                | 0.15                                |
| प्रावधान  | 33      | -                                   | -                                   |
| बढ़ते खाते में डालना  | 34      | -                                   | -                                   |
| स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन  |         | -                                   | -                                   |
| अन्य व्यय   | 35      | 9.99                                | 8.16                                |
| <u>कुल व्यय (IV)</u>  |         | 31.40                               | 39.58                               |
| <u>संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/सहयोगी के लाभ/(हानि) (III-IV)</u> |         | 115.27                              | 171.36                              |
| <u>(VI) संयुक्त उद्यम के शेयर /सहयोगियों के लाभ/(हानि)</u>              |         |                                     |                                     |
| (VI) असाधारण मद   |         | -                                   | -                                   |
| <u>(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)</u>  |         | 115.27                              | 171.36                              |
| <u>(VIII) कर व्यय</u>   | 36      |                                     |                                     |
| चालू कर   |         | 29.01                               | 43.13                               |
| आस्थगित कर  |         | -                                   | -                                   |
| <u>कुल कर व्यय (VIII)</u>   |         | 29.01                               | 43.13                               |
| <u>(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)</u>                    |         | 86.26                               | 128.23                              |
| (X) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)   |         | -                                   | -                                   |
| (XI) बंद प्रचालन के कर व्यय   |         | -                                   | -                                   |
| (XII) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)                      |         | -                                   | -                                   |
| <u>(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)</u>                             |         | 86.26                               | 128.23                              |

एमएनएच शक्ति लिमिटेड  
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹. लाख में)

|   | टिप्पणी | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।                    | 37      | -                                   | -                                   |
| (ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।    |         | -                                   | -                                   |
| ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।                                |         | -                                   | -                                   |
| (ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।          |         | -                                   | -                                   |
| (XV) कुल अन्य व्यापक आय   |         | -                                   | -                                   |
| (XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल) |         | 86.26                               | 128.23                              |
| लाभ के लिए जिम्मेदार :  |         |                                     |                                     |
| कंपनी के स्वामित्व  |         | 86.26                               | 128.23                              |
| गैर-नियंत्रित ब्याज   |         | -                                   | -                                   |
|   |         | 86.26                               | 128.23                              |
| अन्य व्यापक आय के कारण :  |         |                                     |                                     |
| कंपनी के स्वामित्व  |         | -                                   | -                                   |
| गैर-नियंत्रित ब्याज   |         | -                                   | -                                   |
|   |         | -                                   | -                                   |
| कुल व्यापक आय के कारण :   |         |                                     |                                     |
| कंपनी के स्वामित्व  |         | 86.26                               | 128.23                              |
| गैर-नियंत्रित ब्याज   |         | -                                   | -                                   |
|   |         | 86.26                               | 128.23                              |
| (XVII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):                                   |         |                                     |                                     |
| (1) मौलिक   |         | 0.13                                | 0.15                                |
| (2) मंदित   |         | 0.13                                | 0.15                                |
| (XVIII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::                                 |         |                                     |                                     |
| (1) मौलिक   |         | -                                   | -                                   |
| (2) मंदित   |         | -                                   | -                                   |
| (XIX) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):                                 |         |                                     |                                     |
| (1) मौलिक   |         | 0.13                                | 0.15                                |
| (2) मंदित   |         | 0.13                                | 0.15                                |

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(एस.के.बेहेरा)  
कंपनी सचिव

ह/-  
ए. के. सिंह  
निदेशक  
डीआईएन: 09501892

ह/-  
(ए. के. बेहुरा)  
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-  
(एस. घोष)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार  
मेसर्स विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

ह/-  
के.आर.वासुदेवन  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07915732

दिनांक:  
स्थान:सम्बलपुर

ह/-  
(सीए विनोद कुमार अग्रवाल)  
साझेदार  
(सदस्यता संख्या. 055209 )  
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए  
नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹. लाख में)

|   | 31.03.2022 को समाप्त<br>वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त<br>वर्ष के लिए |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह<br>कर पूर्व कुल व्यापक आय          | 115.27                              | 171.36                              |
| निम्न के लिए समायोजन :  |                                     |                                     |
| दीर्घावधि के उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव                          | -                                   | -                                   |
| अचल आस्तियों की मूल्यहास / हानि                                     | 0.15                                | 0.15                                |
| बैंक जमा पर ब्याज   | (146.67)                            | (210.94)                            |
| वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्त लागत                            | 3.49                                | 2.17                                |
| छूट की अनवाईडिंग  | -                                   | -                                   |
| अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि                                | -                                   | -                                   |
| विनिमय दर में उतार-चढ़ाव  | -                                   | -                                   |
| स्त्रीपिंग गतिविधि समायोजन  | -                                   | -                                   |
| निवेश से ब्याज/लाभांश   | -                                   | -                                   |
| बट्टे खाते एवं बनाए गए प्रावधान                                     | -                                   | -                                   |
| चालू / गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के पूर्व परिचालन लाभ       | (27.75)                             | (37.25)                             |
| निम्न के लिए समायोजन :  |                                     |                                     |
| व्यापार प्राप्त्य   | -                                   | -                                   |
| वस्तु-सूची  | -                                   | -                                   |
| गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां | (46.41)                             | (67.70)                             |
| चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां     | 21.65                               | 33.35                               |
| चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं      | (52.51)                             | (71.60)                             |
| संचालन से उत्पन्न नकद   |                                     |                                     |
| भुगतान/वापस किए गए आयकर   | -                                   | -                                   |
| संचालन गतिविधियों से सकल नकदी प्रवाह                                | (क) (52.51)                         | (71.60)                             |
| निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह                                     |                                     |                                     |
| सीडब्ल्यूआईपी / अचल परिसंपत्तियों की खरीद में परिवर्तन              | -                                   | (0.01)                              |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि                           | -                                   | -                                   |
| निवेश में बदलाव   | -                                   | -                                   |
| निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज                                   | -                                   | -                                   |
| निवेश से ब्याज / लाभांश   | 146.67                              | 210.94                              |
| निवेश गतिविधियों से सकल नकद   | (ख) 146.67                          | 210.94                              |

नगद प्रवाह विवरण जारी .....

|  |     | (₹. लाख में)                        |                                     |
|--|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |     | 31.03.2022 को समाप्त<br>वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त<br>वर्ष के लिए |
| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह                         |     |                                     |                                     |
| उधार में बदलाव   |     | -                                   | -                                   |
| ऋणों का पुनर्भुगतान                                      |     | -                                   | -                                   |
| वरीयता शेयर पूंजी का मोचन                                |     | -                                   | -                                   |
| वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत          |     | (3.49)                              | (2.17)                              |
| इक्विटी शेयरों पर लाभांश                                 |     | -                                   | -                                   |
| इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर                           |     | -                                   | -                                   |
| इक्विटी शेयर पूंजी में कमी                               |     | (5,000.00)                          | -                                   |
| इक्विटी शेयर पूंजी के पुनर्खरीद पर कर                    |     | -                                   | -                                   |
| वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त कुल नकद                  | (ग) | (5,003.49)                          | (2.17)                              |
| नकद और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)         |     | (4,909.34)                          | 137.17                              |
| वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष                     |     | 6,262.19                            | 6,125.02                            |
| वर्ष के अंत तक नकद और नकद समकक्ष राशि                    |     | 1,352.85                            | 6,262.19                            |
| (कोष्ठ के सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।) |     |                                     |                                     |

टिप्पणी :

1. उक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों का दिनांक 31.03.21 को 2020-21 के पूरे साल के लिए लेखा परीक्षा किया गया है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह/-

(एस.के. बेहेरा)  
के.पनी सिचव

ह/-

(एस. घोष)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-

(ए.के. बेहेरा)  
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

ए.के. सिंह

निदेशक

डीआईएन: 09501892

ह/-

के.आर.वासुदेवन

अध्यक्ष

डीआईएन: 07915732

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार मेसर्स बिनोद के .  
अग्रवाल एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार

ह/-

(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल) साझेदार  
(सदस्यता संख्या. 055209 ) फर्म पंजीकरण  
संख्या - 320167ई

दिनांक:

स्थान:सम्बलपुर

31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी  
31 मार्च 2022 के अनुसार

| विवरण   | 01.04.2021 तक शेय | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 01.04.2021 तक शेय पुनःवर्णित शेय | वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31.03.2022 तक शेय |
|---|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|
| प्रत्येक ₹ 10/- के 35100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया | 8,510.00          | -   | 8,510.00                         | -5,000.00   | 3,510.00          |

(₹ लाख में)

31 मार्च 2021 के अनुसार

| विवरण   | 01.04.2021 तक शेय | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 01.04.2020 तक पुनःवर्णित शेय | वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31.03.2021 तक शेय |
|---|-------------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| प्रत्येक ₹ 10/- के 85100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया | 8,510.00          | -   | 8,510.00                     | -   | 8,510.00          |

(₹ लाख में)

ब. अन्य इक्विटी

| विवरण                                     | पूंजी प्रतिदान रिजर्व | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्गोप (कर का नियत) - (ओसीआई) | कुल    |
|---|-----------------------|----------------|---------------|---|--------|
| 01.04.2021 तक शेय                         | -                     | -              | 558.97        | -   | 558.97 |
| अवधि के लिए कुल ध्यापक आय                 | -                     | -              | 86.26         | -   | 86.26  |
| अन्तरिम लाभभांश                           | -                     | -              | -             | -   | -      |
| अंतिम लाभभांश                             | -                     | -              | -             | -   | -      |
| सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण          | -                     | -              | -             | -   | -      |
| वर्ष के दौरान समायोजन (टीआरएफ से मुख्यतः) | -                     | -              | -             | -   | -      |
| 31.03.2022 तक शेय                         | -                     | -              | 645.23        | -   | 645.23 |

| विवरण                            | पूंजी प्रतिदान रिजर्व | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्गोप (कर का नियत) - (ओसीआई) | कुल    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|--------|
| 01.04.2020 तक शेय                | -                     | -              | 430.74        | -   | 430.74 |
| अवधि के लिए कुल ध्यापक आय        | -                     | -              | 128.23        | -   | 128.23 |
| अन्तरिम लाभभांश                  | -                     | -              | -             | -   | -      |
| अंतिम लाभभांश                    | -                     | -              | -             | -   | -      |
| सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण | -                     | -              | -             | -   | -      |
| वर्ष के दौरान समायोजन            | -                     | -              | -             | -   | -      |
| 31.03.2021 तक शेय                | -                     | -              | 558.97        | -   | 558.97 |

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(एस.के.बेहेरा)  
कंपनी सचिव

ह/-  
ए. के. सिंह  
निदेशक  
डीआईएन: 09501892

ह/-  
(ए. के. बेहेरा)  
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-  
(एस. घोष)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार  
मेसर्स विनोद के. अग्रवाल ग्रैंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

ह/-  
के.आर.वासुदेवन  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07915732

दिनांक:  
स्थान:सम्बलपुर

ह/-  
(सीए विनोद कुमार अग्रवाल)  
साझेदार  
(सदस्यता संख्या: 055209 )  
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

टिप्पणी : 1 निगम से संबंधित (कॉरपोरेट) जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा तलाबीरा -II और III कोल ब्लॉक का निर्णय किया गया, जिसके तहत 20 एमटीवाई की बुनियादी क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जा सके। इसके लिए एमसीएल, एनएलसी और हिंडालको के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात के शेयर स्वामित्व के साथ एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया, जिसे दिनांक 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एवं पंजीकृत किया गया।

टिप्पणी : 2 महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने की मूल बातें

कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) भारतीय मानक नियमों की धारा- 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार किये गये हैं।

II) वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किये गये हैं।

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। (अनुच्छेद- 14 में वित्तीय साधनों पर लेखा नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजनाएँ- उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ
- लागत पर मूल्य सूची या एनआरवी जो भी कम हो (अनुच्छेद संख्या- 2.20 की लेखा नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए में दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2. वर्तमान और गैर वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/ गैर- वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब

- (अ) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति को संपादित करने का विचार रखता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का विचार रखता है।
- (आ) कंपनी मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए संपत्ति रखता है।
- (इ) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है( भारतीय लेखा मानक – 7 में परिभाषित के रूप में ) जब तक कि परिसंपत्ति का आदान – प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या सूचना अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी संपत्तियाँ गैर वर्तमान में वर्गीकृत हैं।

एक दायित्व को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब

- (अ) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटारा करने की अपेक्षा करता है।
- (आ) कंपनी मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए उत्तरदायित्व रखता है।

- (इ) सूचना अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर दायित्व का निपटान किया जाना है।
- (ई) कंपनी के पास सूचित अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर देयता पर, शेयर लिखतों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिमाणित हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं। अन्य सभी उत्तरदायित्व गैर वर्तमान वर्गीकृत हैं।

### 2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को इस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवार्य हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज हेतु हकदार होने की उम्मीद रखती हो। कंपनी ने आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है क्योंकि यह आमतौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है:

#### चरण 1: संविदा की पहचान :

कंपनी ग्राहक के साथ संविदा का अधिकार तभी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) संविदा के पक्षकारों ने संविदा को मंजूरी दे दी है और ग्राहक अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है।
- ग) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान के शर्तों की पहचान कर सकती है;
- घ) संविदा में वाणिज्यिक विषय (कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि संविदा के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है) हैं और
- इ) यह संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, कंपनी संविदा में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है तो कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या कंपनी द्वारा ग्राहक प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।



### संविदा का संयोजन

यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है तो कंपनी एक ही ग्राहक द्वारा (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) एक ही समय में दो या दो से अधिक संविदाओं को समेकित करती है और संविदा एकल संविदा के रूप में मान्य होगा, :

- क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ संविदा पर पैकेज के रूप में बातचीत की जा सकती है;
- ख) एक संविदा में भुगतान की जाने वाली विचार की राशि दूसरे संविदा की कीमत या कार्य पर निर्भर करती है; या
- ग) संविदा में तय किए गए माल या सेवाएँ (या प्रत्येक संविदा में तय किए गए कुछ माल या सेवाएँ) एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हैं।

### संविदा संशोधन

यदि निम्न दोनों स्थितियाँ मौजूद हैं, तो कंपनी एक अलग संविदा के रूप में संविदा संशोधन के लिए उत्तरदायी है :

तय किए गए माल या सेवाओं से अलग होने के कारण संविदा की गुंजाइश बढ़ जाती है और संविदा की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है, यह कंपनी के स्टैंडअलोन के अतिरिक्त संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त कीमत वाले माल या सेवाओं की कीमतों और उस मूल्य के लिए किसी भी उचित निर्णय को दर्शाता है।

### चरण - 2 : निष्पादन दायित्वों की पहचान

संविदा के प्रारम्भ में, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए माल या सेवाओं का आकलन करती है और कार्य निष्पादन दायित्व रूप में उसकी पहचान करने हेतु प्रत्येक ग्राहक से वादा करती है :

- क) माल या सेवाएँ (माल या सेवाओं का एक समूह) जो अलग हैं; या
- ख) अलग-अलग माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए उनके स्थानांतरण का तरीका भी समान होता है।

### चरण 3 : लेन-देन मूल्य का निर्धारण

जब कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों और उसके प्रचलित व्यावसायिक कार्यों को ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक संविदा में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा, छूट, वापसी, जमा, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है।

कुछ संविदाओं में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, संविदा के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में कुछ या सभी अनुमानित विचार की मात्रा में केवल उस सीमा तक शामिल होती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितताओं को बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए निर्धारित राशि को समायोजित नहीं करती यदि यह संविदा के प्रारम्भ के समय अपेक्षा करती है कि, कि जब वह किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान करता है तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।

कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार करती है और यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। धनवापसी दायित्व प्राप्त भुगतान (या प्राप्त) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार नहीं समझता है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल मूल्य नहीं)। प्रतिदाय दायित्व (और लेनदेन की कीमत में परिवर्तन, इसलिए अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतित किया जाता है।

संविदा के प्रारंभ होने के पश्चात, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध माल या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है।

#### चरण 4 : लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग माल या सेवाएं) के लिए एक राशि में लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जिसमें उस विचार को दर्शाया गया है जिससे कंपनी को उम्मीद है कि वह ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित हेतु कंपनी संविदा में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग माल या सेवाओं के संविदा के प्रारंभ पर स्टैंड-

अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। जब (या जैसे) ग्राहक वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वस्तु या सेवा उसे हस्तांतरित की जाती है।

यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है तो कंपनी समय पर माल या सेवाएं का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है,:

- क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कार्य निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है एवं उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी कार्य-निष्पादन करती है।
- ख) कंपनी का कार्य-निष्पादन संपत्ति को बनाता या बढ़ाता है और जितनी संपत्ति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उस पर संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
- ग) कंपनी का कार्य-निष्पादन कंपनी वैकल्पिक उपयोग से एक परिसंपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास अब तक के प्रदर्शन के लिए के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने के लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आंकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करती है।

कंपनी संविदा के तहत वादा किए गए शेष सामानों या सेवाओं के संबंधित तारीख को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके लागू करती है।

कंपनी संविदा के अंतर्गत तय किए गए शेष माल या सेवाओं को संबंधित तारीख को ग्राहक को स्थानांतरित की गई माल या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति को लागू करती है। आउटपुट पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियाँ शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने हेतु प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों

को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

यदि कंपनी निष्पादन बाध्यता के पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है तभी कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरी हो जाती है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होते हैं।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरी नहीं होती, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध माल या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

- क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
- ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
- ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है;
- घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और माल या सेवा का स्वामित्व होता है;
- ङ) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब संविदा के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी के कार्य निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर संविदा को संविदा संपत्ति या संविदा देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्तियां :

एक संविदा संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के विनिमय में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी माल या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित निर्णय के लिए संविदा संपत्ति को मान्यता प्राप्त होता है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

प्राप्य विचार की राशि के लिए कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो शर्तरहित है। (केवल भुगतान से पहले समय की आवश्यकता है)

संविदा प्राप्य :

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते हैं (विचार की राशि बकाया है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय (जो भी

पहले हो) होने पर एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

#### ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

#### लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

#### अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब प्राप्ति निश्चित होती है तथा विश्वसनीय रूप में मापन किया जा सकता है।

#### 2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी तथा यह निश्चित हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की समन्वयायोजन करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि को विवरणारूप में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य होते हैं, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते हैं।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान का सीधा संबंध "संपत्ति कोष" से है जिसे मान्यता प्राप्त है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

#### 2.5 पट्टे

यदि अनुबंध क्षतिपूर्ति के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है तो संविदा एक पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है।

### 2.5.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति (राइट-टू-यूज एसेट) और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जिसका उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम की या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात् राइट-टू-यूज एसेट को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को, पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर, किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यहास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद के विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग की संपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

### 2.5.2 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलतः सभी प्रासंगिक जोखिम एवं पुरस्कार को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलतः सभी प्रासंगिक जोखिम एवं पुरस्कार को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - यदि पेटर्न का एक अन्य व्यवस्थित आधार अधिक प्रतिनिधिक नहीं होता जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम होता है, तब परिचालन पट्टे से प्राप्त परिचालन भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय पट्टा एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

## 2.6 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं उसे बिक्री हेतु आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबंधन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है।
- एक क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानतः तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

## 2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) :-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुनःस्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

- क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
- ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यहास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'भरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपकरण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपकरण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपकरण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेत्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक मद को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के ऐसे अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

#### अन्य भूमि

|                        |   |
|------------------------|---|
| (पट्टेकृत भूमि सहित) - | परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो |
| भवन -                  | 3-60 वर्ष                                     |
| सड़क -                 | 3-10 वर्ष                                     |
| दूरसंचार -             | 3-9 वर्ष                                      |
| रेलवे साईडिंग -        | 15 वर्ष                                       |
| संयंत्र एवं उपकरण -    | 5-30 वर्ष                                     |
| कम्प्यूटर एवं लैपटॉप - | 3 वर्ष  |
| कार्यालय के उपकरण -    | 3-6 वर्ष                                      |
| फर्नीचर या फिकचर -     | 10 वर्ष                                       |
| वाहन -                 | 8-10 वर्ष                                     |



तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोत्तम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती है। इसलिए आस्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम अनुसूची के 2013 के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित हैं, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल हैं, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो, के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इंवेलिंग एसेट के रूप में पहचाना जाता है।

#### भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने पिछले जीएपी के अनुसार मापे गए भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने हेतु चयन किया है।

## 2.8 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिशनिंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल खनन बंदी के प्रगामी खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

## 2.9 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियाँ में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनों की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रैचिंग तथा नमूने;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना;
- परिवहन तथा आधारीक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार और वित्त अध्ययन का आयोजन;

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविचेद्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत-का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा आस्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

#### 2.10 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास-चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

#### वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

- क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या
- ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या
- ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना को परिशोधित की जाती है।

### 2.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की गई) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूँजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के लिये मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रूप में मापा जाता है एवं लाभ तथा हानि के रूप में उसे मान्यता दी जाती है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात् सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

### 2.12 परिसंपत्तियों की हानि ( वित्तीय संपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकद-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है

जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पन्न करनेवाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

### 2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) उत्पादन में उपयोग करने या वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए या व्यवसायों के सामान्य क्रम में विक्रय के बजाय किराये अर्जन या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए है, जिसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में संबंधित लेनदेन लागत सहित इसकी लागत पर, और जहां उधार लागत लागू हो, के अनुसार मापा जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यहास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

### 2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

#### 2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात्, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

#### 2.14.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋणसाधन (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई)।

#### 2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं।

- क) परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अंतर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी प्रवाह का संग्रह करना है और
- ख) परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वीकार किया गया है।

#### 2.14.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।
- ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पीएंडएल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए हैं को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पीएंडएल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डेब्ट इंस्ट्रुमेंट कोई आईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

#### 2.14.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रुमेंट :

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे 'बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर पीएंडएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

#### 2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में शेयर निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन (ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

#### 2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इन्स्ट्रुमेंट दर इन्स्ट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इन्स्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। ओसीआई से पीएंडएल में, यहां तक कि निवेश की राशि में भी, कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट को पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

#### 2.14.3 वित्तीय देयताएँ

##### 2.14.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप

#### अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इन्स्ट्रुमेंट दर इन्स्ट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इन्स्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। ओसीआई से पीएंडएल में, यहां तक कि निवेश की राशि में भी, कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट को पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

**2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ**

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज दर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

**2.14.3.5 मान्यता वापस लेना**

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रूप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

**2.14.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण**

कंपनी प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारम्भिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण साधन हैं, का पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में कम बदलाव होने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्वतः स्पष्ट है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी या तो ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुनःवर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुनःवर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुनःवर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं:-

| वास्तविक वर्गीकरण | संशोधित वर्गीकरण | लेखांकनविधि   |
|-------------------|------------------|---|
| परिशोधित लागत     | एफवीटीपीएल       | पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रूप में पहचाना जाता है।                   |
| एफवीटीपीएल        | परिशोधित लागत    | पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है। |



|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| परिशोधित लागत | एफवीटीओसीआई   | पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।   |
| एफवीटीओसीआई   | परिशोधित लागत | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं। |
| एफवीटीपीएल    | एफवीटीओसीआई   | पुनः वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।   |
| एफवीटीओसीआई   | एफवीटीपीपीएल  | परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पीएंडएल के रूप वर्गीकृत किया गया।   |

#### 2.14.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओं को पूरा किया गया और शुद्ध राशि की सूचना समेकित तुलनपत्र में दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने के साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

#### 2.14.6 नकद और समतुल्य नकद

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

#### 2.15. उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

## 2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ आयकर से पहले लाभ से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से अस्थायी अंतर उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती हैं अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे इस हद तक कम कर दिया गया है कि यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया है। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

## 2.17 कर्मचारी हितलाभ

### 2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

### 2.17.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

#### 2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग सांविधिक निकाय (कोयला परियोजना भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान की हैं।

#### 2.17.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

एक पारिभाषित योगदान योजना एक पोस्ट-रोजगार लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

### 2.17.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित पारिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

### 2.18 विदेशी मुद्रा

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती हैं। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

### 2.19 अलग करने की गतिविधि व्यय/समायोजन :

खुली खदान खनन के मामलों में, खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। इस कचरे को हटाने की गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए खानों को राजस्व खाते में लाये जाने के बाद एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है -

| खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम | विचलन की अनुमानित सीमाएं |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 मिलियन घन-मीटर से कम          | +/- 5%                   |
| 1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच    | +/- 3%                   |
| 5 मिलियन घन-मीटर से अधिक        | +/- 2%                   |

हालांकि जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

## 2.20 वस्तु-सूची

### 2.20.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्त्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

### 2.20.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें अव्यवस्थित उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/ड्रीलिंग कैम्प/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

### 2.20.3 अन्य वस्तु सूची

कार्य की प्रगति सहित कार्यशाला के कार्यों को लागत पर महत्व दिया जाता है।। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्कैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

### 2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का आउटफ्लो होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएं यथोचित होती हैं।

### 2.22 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारत औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो कि सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

### 2.23 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता है।

### 2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है :

#### 2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारीयों उद्धृत की है।

क) उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख) वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता

i) कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

ii) न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाती है वरन लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाती है

iii) तटस्थ है अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. मितव्ययी, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रूप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. ढांचे में संपत्ति, देयताएं, आय तथा व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है।

## वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

लेखांकन के प्रोद्गवन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

### 2.23.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

यदि कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी वृद्धियाँ और चूक कुल परिचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध) के 1% से अधिक नहीं हैं तो दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई वृद्धियाँ / चूक को महत्वहीन माना जाता है और उसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है।

### 2.23.1.3 परिचालन पट्टा -

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

### 2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों के आधार पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएँ, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे बदलाव जब घटित होते हैं तब मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

### 22.23.2.1 गैरवित्तीय सम्पत्तियों की हानि

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो यह हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले



पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियाँ शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

#### 2.23.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

#### 2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

#### 2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

### 2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार विकास के तहत एक परियोजना के लिए अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

### 23.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुनः स्थापना व डिकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनःस्थापना तथा डिकमिस्निंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु छूट दरों के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं, साइट पुनः स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके परियोजना / खदान के जीवन पर विचार करते हुए प्रावधान का आंकलन करती है।

- अनुमानित लागत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर (प्रति कर दर) जो कि समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

### 2.25 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर :

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| क. | सीजीयू      | नकद उत्पाद इकाई                        |
| ख. | डीसीएफ      | रियायती नकद प्रवाह                     |
| ग. | एफवीटीओसीआई | अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य |
| घ. | एफवीटीपीएल  | लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य    |
| ङ. | जीएएपी      | समान्यतः स्वीकृत मूलधन                 |
| च. | भा.ले.मा.   | भारतीय लेखा मानक                       |
| छ. | ओसीआई       | अन्य व्यापक आय                         |
| ज. | पी एंड एल   | लाभ और हानि                            |
| झ. | पीपीई       | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण              |
| ञ. | एसपीपीआई    | केवल मूलधन और ब्याज भुगतान             |

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी-3: संपत्ति संबंधित एवं उपकरण

| विवरण  | (₹ लाख में)  |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
|--|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------------|------------------------|------|
|  | असंगत वित्त  | अन्य भूमि                  | भूमि उपकरण/सुपरग्राउंड वायर   | वहन (सब्सिडी, लेन देका सुविधा) | संलग्न एवं बचत                    | यूटिलिटी | संबंधित कॉस्टिंग | धनविहाय व रिजर्व | कार्यालय उपकरण | वाहन | अन्य वजन आधारित उपकरण | व्यावसायिक कर एवं अन्य | कुल  |
| सकल घन मूल्य:  |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 01.04.2020 के अनुसार                                   |              |                            |   |                                |                                   |          | 5.80             |                  |                |      |                       |                        | 5.80 |
| वर्धन  |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| दिलोवर/कमोवर   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          | 5.80             |                  |                |      |                       |                        | 5.80 |
| 01.04.2021 के अनुसार                                   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| वर्धन  |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| दिलोवर/कमोवर   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          | 5.80             |                  |                |      |                       |                        | 5.80 |
| संचित मूल्यहास और क्षति                                |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 1 जनवरी, 2020 के अनुसार                                |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        | 4.59 |
| वर्धन के लिए उधार                                      |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        | 0.15 |
| वर्धन  |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| दिलोवर/कमोवर   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          | 4.74             |                  |                |      |                       |                        | 4.74 |
| 01.04.2021 के अनुसार                                   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| वर्धन के लिए उधार                                      |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        | 4.74 |
| वर्धन  |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        | 0.15 |
| दिलोवर/कमोवर   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          | 4.89             |                  |                |      |                       |                        | 4.89 |
| दिलोवर/कमोवर   |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          | 0.91             |                  |                |      |                       |                        | 0.91 |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार                               |              |                            |   |                                |                                   |          | 1.06             |                  |                |      |                       |                        | 1.06 |
| 1. अचल संपत्तियों के टाइमल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है |              |                            |   |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| संपत्ति की मद का विवरण                                 | सकल घन मूल्य | के नाम पर किए गए टाइमल डीड | क्या टाइमल डीड भारत प्रमोटर, सिंधुवाक या प्रमोटर/निदेशक धारित/संयोजक या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है | संपत्ति किस समय से आवंटित है   | कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| प्रतिशत डीड  |              | नहीं                       | नहीं  |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |
| अन्य भूमि  |              | नहीं                       | नहीं  |                                |                                   |          |                  |                  |                |      |                       |                        |      |

1. टिप्पणी 2.7 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। हालांकि, संपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्प्लेड डीड संपत्तियों के लिए संचित तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने पर, संपत्ति के गैर-पुनर्गठन वर्ग के उपयोगी जीवन के आधार पर इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

2. सीआइएल से परिष्कृत संचित की अनुशंसा, दिनांक 17.04.2017 के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-4: पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹. लाख में)

|  | भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित) | संयंत्र एवं उपकरणों | रेलवे साईडिंग | अन्य खनन अधसंरचना/विकास | निर्माणधीन रेल कॉरीडोर | सौर परियोजना | अन्य | कुल |
|--|---|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|------|-----|
| सकल बहन राशि:<br>01.04.2020 के अनुसार  | -   | -                   | -             | -                       | -                      | -            | -    | -   |
| कोष<br>पूँजीकरण/वित्तोपन<br>31 मार्च, 2021 के अनुसार   | -   | -                   | -             | -                       | -                      | -            | -    | -   |
| 01अप्रैल, 2021 के अनुसार<br>कोष<br>पूँजीकरण/वित्तोपन<br>31 मार्च, 2022 के अनुसार                                   | -   | -                   | -             | -                       | -                      | -            | -    | -   |
| संचित हानि<br>01.04.2020 के अनुसार<br>वर्ष के लिए प्रभार<br>हानि<br>समायोजन / वित्तोपन<br>31 मार्च, 2021 के अनुसार | -   | -                   | -             | -                       | -                      | -            | -    | -   |
| 01अप्रैल, 2021 के अनुसार<br>अवधि के लिए प्रभार<br>हानि<br>समायोजन / वित्तोपन<br>31 मार्च, 2022 के अनुसार           | -   | -                   | -             | -                       | -                      | -            | -    | -   |
| विवश बहन राशि<br>31 मार्च, 2022 के अनुसार<br>31 मार्च 2021 के अनुसार   | -   | -                   | -             | -                       | -                      | -            | -    | -   |

पूँजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) पूँजीगत कार्य में प्रगति के लिए समय-सीमा अनुसूची :

|   | अवधि के लिए में प्रगतिशील पूँजीगत कार्य की राशि |          |          |   |                | कुल |
|---|---|----------|----------|---|----------------|-----|
|   | एक वर्ष से कम                                   | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष |   | 3 वर्ष से अधिक |     |
| परियोजनाएं प्रगति पर:                         |   |          |          |   |                |     |
| भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित) | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| संयंत्र एवं उपकरणों                           | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| रेलवे साईडिंग                                 | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| अन्य खनन अधसंरचना/विकास                       | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| निर्माणधीन रेल कॉरीडोर                        | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| सौर परियोजना                                  | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| अन्य  | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:            |   |          |          |   |                |     |
| (प्रमुख (भवन/संयंत्र और उपकरण) का नाम)        |   |          |          |   |                |     |
| परियोजना का नाम                               | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| परियोजना का नाम                               | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| परियोजना का नाम                               | -   | -        | -        | - | -              | -   |
| कुल   | -   | -        | -        | - | -              | -   |

(b) अतिदेय प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

|  | में पूरा किया जाना है |          |   |          |                |
|--|-----------------------|----------|---|----------|----------------|
|  | एक वर्ष से कम         | 1-2 वर्ष |   | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| परियोजनाएं प्रगति पर :                           |                       |          |   |          |                |
| भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)    | -                     | -        | - | -        | -              |
|  | -                     | -        | - | -        | -              |
| संयंत्र एवं उपकरणों                              | -                     | -        | - | -        | -              |
| रेलवे साईडिंग                                    | -                     | -        | - | -        | -              |
| अन्य खनन अधसंरचना/विकास                          | -                     | -        | - | -        | -              |
| निर्माणधीन रेल कॉरीडोर                           | -                     | -        | - | -        | -              |
| अन्य   | -                     | -        | - | -        | -              |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:               |                       |          |   |          |                |
| (प्रमुख (भवन/संयंत्र और उपकरण) का नाम) का उल्लेख |                       |          |   |          |                |
| परियोजना 1 का नाम                                | -                     | -        | - | -        | -              |
| परियोजना 2 का नाम                                | -                     | -        | - | -        | -              |
| कुल  | -                     | -        | - | -        | -              |

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

|   | (₹. लाख में)<br>अन्वेषण<br>और<br>मूल्यांकन<br>लागत |
|---|--|
| सकल वहन राशि:<br>01.04.2020 के अनुसार<br>योग<br>पूँजीकरण/विलोपन<br>31 मार्च, 2021 के अनुसार                         | -  |
| 01अप्रैल, 2021 के अनुसार<br>योग<br>विलोपन/समायोजन<br>31 मार्च, 2022 के अनुसार                                       | -  |
| परिशोधन और हानि<br>01.04.2020 के अनुसार<br>वर्ष के लिए प्रभार<br>हानि<br>विलोपन/समायोजन<br>31 मार्च, 2021 के अनुसार | -  |
| 01अप्रैल, 2021 के अनुसार<br>अवधि के लिए प्रभार<br>हानि<br>विलोपन/समायोजन<br>31 मार्च, 2022 के अनुसार                | -  |
| नियत वहन राशि<br>31 मार्च, 2022 के अनुसार<br>31 मार्च 2021 के अनुसार  | -  |

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों के लिए समय-सीमा अनुसूची

|  | की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि |          |          |                |     |
|--|--|----------|----------|----------------|-----|
|  | 1 वर्ष से कम                                 | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर:               |  |          |          |                |     |
| अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित : |  |          |          |                |     |
| परियोजना का नाम  |  |          |          |                |     |
| कुल  | -  | -        | -        | -              | -   |

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

|  | में पूरा किया जाना है |          |          |                |
|--|-----------------------|----------|----------|----------------|
|  | 1 वर्ष से कम          | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर: |                       |          |          |                |
| परियोजना का नाम                            |                       |          |          |                |
| कुल  | -                     | -        | -        | -              |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹. लाख में)

|                           | कंप्यूटर<br>सॉफ्टवेयर | अमूर्त अन्वेषण<br>परिसंपत्तियाँ | अन्य | कुल  |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|
| <b>सकल वहन राशि: :</b>    |                       |                                 |      |      |
| 01.04.2020 के अनुसार      |                       |                                 | -    | -    |
| योग                       |                       | -                               | -    | -    |
| पूँजीकरण/विलोपन           | -                     | -                               | -    | -    |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार  | -                     | -                               | -    | -    |
| 01 अप्रैल, 2021 के अनुसार |                       |                                 |      |      |
| योग                       | -                     | -                               | -    | -    |
| विलोपन/समायोजन            | -                     | -                               | -    | -    |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार  | -                     | -                               | -    | -    |
| <b>परिशोधन और हानि</b>    |                       |                                 |      |      |
| 01.04.2020 के अनुसार      |                       |                                 |      |      |
| वर्ष के लिए प्रभार        |                       | -                               | -    | -    |
| हानि                      |                       | -                               | -    | -    |
| विलोपन/समायोजन            |                       | -                               | -    | -    |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार  | -                     | -                               | -    | -    |
| 01 अप्रैल, 2021 के अनुसार |                       |                                 |      |      |
| वर्ष के लिए प्रभार        |                       | -                               | -    | -    |
| हानि                      |                       | -                               | -    | 0.00 |
| विलोपन/समायोजन            |                       | -                               | -    | 0.00 |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार  | -                     | -                               | -    | -    |
| <b>नियत वहन राशि</b>      |                       |                                 |      |      |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार  | -                     | -                               | -    | -    |
| 31 मार्च 2021 के अनुसार   | -                     | -                               | -    | -    |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹. लाख में)

|                          | विकास के तहत<br>ईआरपी |
|--------------------------|-----------------------|
| सकल बहन राशि::           |                       |
| 01.04.2020 के अनुसार     | -                     |
| योग                      | -                     |
| पूँजीकरण/विलोपन          | -                     |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार | -                     |
| 01अप्रैल, 2021 के अनुसार | -                     |
| योग                      | -                     |
| विलोपन/समायोजन           | -                     |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार | -                     |
| परिशोधन और हानि          |                       |
| 01.04.2020 के अनुसार     | -                     |
| वर्ष के लिए प्रभार       | -                     |
| हानि                     | -                     |
| विलोपन/समायोजन           | -                     |
| 31 मार्च, 2021 के अनुसार | -                     |
| 01अप्रैल, 2021 के अनुसार | -                     |
| अवधि के लिए प्रभार       | -                     |
| हानि                     | -                     |
| विलोपन/समायोजन           | -                     |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार | -                     |
| निवल बहन राशि            |                       |
| 31 मार्च, 2022 के अनुसार | -                     |
| 31 मार्च 2021 के अनुसार  | -                     |

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए समय-सीमा की अनुसूची

|  | की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि |          |          |                |     |
|--|---|----------|----------|----------------|-----|
|  | 1 वर्ष से कम  | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| परियोजनाएँ प्रगति पर :                               |   |          |          |                |     |
| विकास के तहत ईआरपी                                   |   |          | -        | -              | -   |
| परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित :                  |   |          |          |                |     |
| प्रमुख (अर्थात् कंप्यूटर आदि) के नाम का उल्लेख करें। | -   | -        | -        | -              | -   |
| परियोजना का नाम                                      |   |          |          |                |     |
| कुल  | -   | -        | -        | -              | -   |

(ख) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

|                    | में पूरा किया जाना है |          |          |                |
|--------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|
|                    | 1 वर्ष से कम          | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| विकास के तहत ईआरपी | -                     | -        | -        | -              |
| कुल                | -                     | -        | -        | -              |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी - 7 : निवेश

| गैर चालू निवेश                              | धारित राशि का प्रतिशत | शेयर / इकाइयों की संख्या | प्रति शेयर अंकित मूल्य | (₹. लाख में)  |    |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----|
|   |                       |                          |                        | 31.03.2022 तक | तक |
| अनुपंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर कुल (क)   |                       |                          |                        | -             | -  |
| सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत) अन्य निवेश |                       |                          |                        | -             | -  |
| कुल (ख)                                     |                       |                          |                        | -             | -  |
| सकल योग (क+ख)                               |                       |                          |                        | -             | -  |
| गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:               |                       |                          |                        | -             | -  |
| उद्धृत निवेश की कुल राशि::                  |                       |                          |                        | -             | -  |
| गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य             |                       |                          |                        | -             | -  |
| निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:        |                       |                          |                        | -             | -  |

| निवेश                                | इकाइयों की संख्या | भारत औसत एनएवी (₹ में) | (₹. लाख में)  |    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----|
|                                      |                   |                        | 31.03.2022 तक | तक |
| चालू                                 |                   |                        |               |    |
| म्यूचुअल फंड निवेश                   |                   |                        |               | -  |
| सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)     |                   |                        | 0             | -  |
| अंतर कंपरिट जमा (आईसीडी) में निवेश   |                   |                        | 0             | -  |
| कुल :                                |                   |                        | -             | -  |
| गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:        |                   |                        | -             | -  |
| उद्धृत निवेश की कुल राशि::           |                   |                        | -             | -  |
| गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य      |                   |                        | -             | -  |
| निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि: |                   |                        | -             | -  |



वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी- 8 : ऋण

| गैर-चालू                                 |  |   |   |
|--|--|---|---|
| संबंधित पक्षों को ऋण                     |  |   |   |
| - सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया           |  | - | - |
| - असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया         |  | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि     |  | - | - |
| - क्रेडिट हानि                           |  | - | - |
| घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता           |  | - | - |
| संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण       |  |   |   |
| कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण |  |   |   |
| - सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया           |  | - | - |
| - असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया         |  | - | - |
| - क्रेडिट हानि                           |  | - | - |
| घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता           |  | - | - |
| कुल                                      |  | - | - |
| चालू                                     |  |   |   |
| संबंधित पक्षों को ऋण                     |  |   |   |
| - सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया           |  | - | - |
| - असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया         |  | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि     |  | - | - |
| - क्रेडिट हानि                           |  | - | - |
| घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता           |  | - | - |
| कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण |  |   |   |
| - सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया           |  | - | - |
| - असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया         |  | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि     |  | - | - |
| - क्रेडिट हानि                           |  | - | - |
| घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता           |  | - | - |
| कुल                                      |  | - | - |

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

| संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण | उधारकर्ता का प्रकार | तक             |                 | तक             |                 |
|---|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|   |                     | सकल राशि बकाया | कुल सकल ऋण का % | सकल राशि बकाया | कुल सकल ऋण का % |
| निदेशकगण                                    |                     |                | -               |                | -               |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक                     |                     |                | -               |                | -               |
| संबंधित पक्ष                                |                     |                | -               |                | -               |
| कुल   |                     | -              | -               | -              | -               |

समेकित वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹. लाख में)

|   | 31.03.2022      |                 |
|---|-----------------|-----------------|
|   | तक              | तक              |
| <b>गैर-चालू</b>   |                 |                 |
| 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि          | -               | -               |
| खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा                       | -               | -               |
| सुरक्षा जमा   | -               | -               |
| घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता                   | -               | -               |
|   | -               | -               |
| अन्य जमा और प्राप्तियां                                   | -               | -               |
| घटाव : संदिग्ध जमा एवं प्राप्त्य के लिए भत्ते             | -               | -               |
|   | -               | -               |
| <b>कुल</b>  | -               | -               |
| <b>चालू</b>   |                 |                 |
| धारक कंपनी/अनुषंगी कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू खाता शेष | -               | -               |
| घटाव : अनुषंगियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता         | -               | -               |
|   | -               | -               |
| अर्जित ब्याज  | 20.15           | 0.24            |
| अन्य जमा और प्राप्त्य                                     | 2,413.49        | 2,413.49        |
| घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्त्य राशियों के लिए भत्ता      | -               | -               |
|   | 2,413.49        | 2,413.49        |
| सुरक्षा जमा   | -               | -               |
| घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता                   | -               | -               |
|   | -               | -               |
| <b>कुल</b>  | <b>2,433.64</b> | <b>2,413.73</b> |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

|   | 31.03.2022 |          |
|---|------------|----------|
|   | तक         | तक       |
| (i) पूंजीगत अग्रिम<br>घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता  | -          | -        |
| (ii) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम<br>(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा<br>घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता | -          | -        |
| (ख) अन्य जमा एवं अग्रिम<br>घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता   | -          | -        |
| (ग) खर्च किए गए प्रगतिशील खान बंदी व्यय   | -          | -        |
| <b>कुल</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b> |

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपातियाँ

|   | 31.03.2022    |               |
|---|---------------|---------------|
|   | तक            | तक            |
| (क) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान<br>घटाव : संदिग्ध सांविधिक देय के लिए भत्ता | -             | -             |
| (ख) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम   | -             | -             |
| (ग) अन्य अग्रिम एवं जमा<br>घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिमों के लिए भत्ता     | 278.34        | 278.34        |
| (घ) खर्च किए गए प्रगतिशील खान बंदी व्यय   | -             | -             |
| (ड.) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट  | -             | -             |
| <b>कुल</b>  | <b>278.34</b> | <b>278.34</b> |

1. अन्य अग्रिम तथा जमा का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तहत जमा किए गए रु. 257.47 लाख के आयकर तथा रु.20.87 लाख के सेवा कर जमा से है।

|   | 31.03.2022 |    |
|---|------------|----|
|   | तक         | तक |
| (क) कोयले का स्टॉक<br>विकास के तहत कोयला<br>कोयले का स्टॉक  | -          | -  |
| (ख) भंडार और पुर्जों का स्टॉक (निवल)<br>जोड़ : मार्गस्थ सामान<br>भंडार और पुर्जों का कुल निवल स्टॉक | -          | -  |
| (ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक<br>(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य                         | -          | -  |
| <b>कुल</b>  | -          | -  |

मूल्यांकन का तरीका : नोट संख्या 2.20 देखें - "वस्तु-सूची" पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

टिप्पणी : 13 : व्यापार से प्राप्त

|   | 31.03.2022 |    |
|---|------------|----|
|   | तक         | तक |
| चालू<br>व्यापार प्राप्त<br>सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया<br>असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया<br>क्रेडिट हानि | -          | -  |
| <b>कुल</b>  | -          | -  |

कम : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

2. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां कोयले पर नमी तथा कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान का कुल ₹ 30.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.71 करोड़) है।

व्यापार प्राप्त की समय-सीमा (एजिंग) कार्यसूची

| विवरण   | लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया |               |          |          |                | कुल |
|---|---|---------------|----------|----------|----------------|-----|
|   | 6 महीने से कम                                       | 6 महीने 1 साल | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |     |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - जिसे अच्छा माना गया |   |               |          |          |                | -   |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्त-क्रेडिट हानि          | -   | -             | -        | -        | -              | -   |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्त- जिसे अच्छा माना गया  | -   | -             | -        | -        | -              | -   |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्त - क्रेडिट हानि         | -   | -             | -        | -        | -              | -   |
| (v) कोयला गुणवत्ता भिन्नता                          |   |               |          |          |                | -   |
| <b>कुल</b>  | -   | -             | -        | -        | -              | -   |
| बकाया देय<br>खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता      |   |               |          |          |                | 0   |
| अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %          | 0%  | 0%            | 0%       | 0%       | 0%             | 0%  |

कोयला गुणवत्ता भिन्नता का समाधान

|  | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का प्रारंभिक शेष | 0                                | 0                                |
| अवधि के दौरान योग                          | 0                                | 0                                |
| अवधि के दौरान परिवर्तन                     | 0                                | 0                                |
| कोयला गुणवत्ता भिन्नता का अंतिम शेष        | 0                                | 0                                |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 14 : नगद एवं नगद समकक्ष

|                                      | 31.03.2022      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | तक              | तक              |
| (क) बैंक के साथ शेष                  |                 |                 |
| - नया खातों में                      | -               | -               |
| - चालू खाते में                      |                 |                 |
| - (क) ब्याज सहित (सीएलटीडी खाते आदि) | 1,349.43        | 6,255.78        |
| - ब्याज-रहित                         | 3.42            | 6.41            |
| नकद क्रेडिट खातों में                | -               | -               |
| (ख) भारत के बाहर बैंक शेष            | -               | -               |
| (ग) उपलब्ध बैंक, ड्राफ्ट एवं मोहर    | -               | -               |
| (घ) उपलब्ध नकद                       | -               | -               |
| (ङ.) अन्य                            | -               | -               |
| <b>कुल नगद एवं नगद समकक्ष</b>        | <b>1,352.85</b> | <b>6,262.19</b> |

नगद और नगद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में नगद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल है।

नोट - 15 : अन्य बैंक शेष

|                                      | 31.03.2022 |          |
|--------------------------------------|------------|----------|
|                                      | तक         | तक       |
| बैंकों के साथ शेष                    |            |          |
| जमा                                  | -          | -        |
| अन्य जमा (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए) | -          | -        |
| <b>कुल</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b> |

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

| प्राधिकृत  | के अनुसार (₹. लाख में) |           |
|--|------------------------|-----------|
|  | तक                     | तक        |
| प्रत्येक ₹. 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर<br>( प्रत्येक ₹. 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर)  | 10,000.00              | 10,000.00 |
| कुल  | 10,000.00              | 10,000.00 |
| निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त  |                        |           |
| प्रत्येक ₹.10/- के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 35100000 इक्विटी शेयर<br>(प्रत्येक ₹.10/- के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 85100000 इक्विटी शेयर) | 3,510.00               | 8,510.00  |
| कुल  | 3,510.00               | 8,510.00  |

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

| शेयरधारक का नाम                  | आयोजित शेयरों की संख्या (प्रत्येक ₹. 10 का अंकित मूल्य ) | शेयर का कुल प्रतिशत | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड        | 24570000   | 70                  | 0.00                     |
| हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड     | 5265000  | 15                  | 0.00                     |
| नेवेली लिमाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 5265000  | 15                  | 0.00                     |
| कुल                              | 35100000   | 100                 | 0.00                     |

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

| विवरण             | शेयरों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|-------------------|------------------|------------------|
| 31.03.2017 तक शेष | 8,51,00,000      | 8,510.00         |
| योग/घटाव          | -                | 0.00             |
| 31.03.2018 तक शेष | 8,51,00,000      | 8,510.00         |
| योग/घटाव          | 0.00             | 0.00             |
| 31.03.2019 तक शेष | 8,51,00,000      | 8,510.00         |
| योग/(घटाव)        | -                | -                |
| 31.03.2020 तक शेष | 8,51,00,000      | 8510.00          |
| योग(घटाव)         | -                | -                |
| 31.03.2021 तक शेष | 8,51,00,000      | 8510.00          |
| योग/घटाव          | -5,00,00,000     | 5000.00          |
| 31.03.2022 तक शेष | 3,51,00,000      | 3,510.00         |

3. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार होते हैं।

4. इस अवधि के दौरान, कंपनी ने प्रत्येक 10/- रुपये के 5 करोड़ शेयरों को रद्द करके शेयरों के मूल्य 8510.00 लाख से 35 10.00 लाख रुपये कम किए हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी 17 : अन्य इभियटी

(₹. लाख में)

| विवरण  | पूंजी प्रतिदान रिजर्व | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई) | कुल    |
|--|-----------------------|----------------|---------------|--|--------|
| 01-04-2021 तक शेष                            | 0.00                  | 0.00           | 558.97        | 0.00   | 558.97 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय                    |                       |                | 86.26         | 0.00   | 86.26  |
| अन्तरिम लाभों का                             |                       |                |               |  | 0.00   |
| अंतिम लाभों का                               |                       |                |               |  | 0.00   |
| सामान्य रिजर्व में/ के लिए अंतरण             |                       | 0.00           |               |  | 0.00   |
| अवधि के दौरान समायोजन (टीआरईएफ़ से मुख्यालय) |                       |                |               |  | 0.00   |
| 31.03.2022 तक शेष                            | 0.00                  | 0.00           | 645.23        | 0.00   | 645.23 |

(₹. लाख में)

| विवरण                            | पूंजी प्रतिदान रिजर्व | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई) | कुल    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|--------|
| 01-04-2020 तक शेष                | 0.00                  | 0.00           | 430.74        | 0.00   | 430.74 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय        | 0.00                  | 0.00           | 128.23        | 0.00   | 128.23 |
| अन्तरिम लाभों का                 | 0.00                  | -              | 0.00          | -  | 0.00   |
| अंतिम लाभों का                   | 0.00                  | -              | -             | -  | -      |
| सामान्य रिजर्व में/ के लिए अंतरण | 0.00                  | -              | 0.00          | -  | -      |
| अवधि के दौरान समायोजन            | -                     | -              | 0.00          | 0.00   | 0.00   |
| 31.03.2021 तक शेष                | 0.00                  | 0.00           | 558.97        | 0.00   | 558.97 |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी 18: उधार

(₹. लाख में)

|                                     | के अनुसार  |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
|                                     | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| गैर-चालू                            |            |            |
| सावधि ऋण<br>बैंक से                 | -          | -          |
| कुल                                 | -          | -          |
| वर्गीकरण                            |            |            |
| सुरक्षित                            | -          | -          |
| असुरक्षित                           | -          | -          |
| चालू                                |            |            |
| मांग पर प्रतिदेय ऋण<br>बैंक से      |            |            |
| -बैंक ओवरड्राफ्ट                    | -          | -          |
| - बैंक से अन्य ऋण                   | -          | -          |
| अन्य से                             | -          | -          |
| दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता | -          | -          |
| कुल                                 | -          | -          |
| वर्गीकरण                            |            |            |
| सुरक्षित                            | -          | -          |
| असुरक्षित                           | -          | -          |



वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी -19: व्यापार देनदारियां

(₹. लाख में)

|   | के अनुसार  |            |
|---|------------|------------|
|   | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| चालू<br>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम           | -          | -          |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा<br>कुल | -          | -          |

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया

क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक देय नहीं है।

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 की धारा -16 के संदर्भ में अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया।

ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है।)

घ) अर्जित ब्याज और वर्ष के अंत तक बकाया

ङ.) आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज, ऐसी तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।

व्यापार प्राप्य समय-सीमा अनुसूची

| विवरण                         | लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया |          |          |                |     |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------------|-----|
|                               | 1 वर्ष से कम  | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) एमएसएमई                   | -   | -        | -        | -              | -   |
| (ii) अन्य                     | -   | -        | -        | -              | -   |
| (iii) विवादित बकाया - एमएसएमई | -   | -        | -        | -              | -   |
| (iv) विवादित बकाया - अन्य     | -   | -        | -        | -              | -   |
| कुल                           | -   | -        | -        | -              | -   |
| बकाया देय                     | -   | -        | -        | -              | -   |

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

|                             |        |       |
|-----------------------------|--------|-------|
| गैर-चालू                    |        |       |
| सुरक्षा जमा                 | -      | -     |
| बचाना राशि                  | -      | -     |
| अन्य                        | -      | -     |
| चालू                        |        |       |
| एमसीएल के साथ चालू खाता     | 107.74 | 83.39 |
| सुरक्षा जमा                 | 0.70   | 0.70  |
| बचाना राशि                  | 1.01   | 1.01  |
| पूँजीगत व्यय के लिए देय     | -      | -     |
| कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ | 1.75   | 6.00  |
| अन्य                        | 5.02   | 3.46  |
| कुल                         | 116.22 | 94.56 |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी-21: प्रावधान

|                                  | (₹. लाख में) |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
|                                  | के अनुसार    |            |
|                                  | 31.03.2022   | 31.03.2021 |
| <b>गैर चालू</b>                  |              |            |
| <b>कर्मचारी लाभ</b>              |              |            |
| उपदान                            | -            | -          |
| अवकाश नकदीकरण                    | -            | -          |
| सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | -            | -          |
| अन्य कर्मचारी लाभ                | -            | -          |
|                                  | -            | -          |
| अन्य प्रावधान                    | -            | -          |
| अन्य                             | -            | -          |
| <b>कुल</b>                       | -            | -          |
| <b>चालू</b>                      |              |            |
| <b>कर्मचारी लाभ</b>              |              |            |
| उपदान                            | -            | -          |
| अवकाश नकदीकरण                    | -            | -          |
| सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | -            | -          |
| अनुग्रह राशि                     | -            | -          |
| कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान | -            | -          |
| अन्य कर्मचारी लाभ                | -            | -          |
|                                  | -            | -          |
| अन्य प्रावधान                    | -            | -          |
| अन्य                             | -            | -          |
| <b>कुल</b>                       | -            | -          |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-22: अन्य गैर चालू देयताएं

|           | (₹. लाख में) |            |
|-----------|--------------|------------|
|           | के अनुसार    |            |
|           | 31.03.2022   | 31.03.2021 |
| स्थगित आय | -            | -          |
| कुल       | -            | -          |

टिप्पणी-23: अन्य चालू देयताएं

|  | (₹. लाख में) |            |
|--|--------------|------------|
|  | के अनुसार    |            |
|  | 31.03.2022   | 31.03.2021 |
| सांविधिक बकाया राशि<br>ग्राहकों/अन्य से अग्रिम<br>अन्य देयताएँ | 0.10         | 0.12       |
| कुल  | 0.10         | 0.12       |

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

|  | (₹. लाख में)                        |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के<br>लिए |
| क. कोयले का विक्रय<br>घटाव: वैधानिक लेवी<br>कोयले का विक्रय (निवल) (क) | -<br>-<br>-                         | -<br>-<br>-                            |
| ख. अन्य संचालन राजस्व  |                                     |  |
| तदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार<br>घटाव: वैधानिक लेवी                  | -<br>-                              | -<br>-                                 |
| निकासी सुविधा शुल्क<br>घटाव: वैधानिक लेवी                              | -<br>-                              | -<br>-                                 |
| सेवाओं से राजस्व<br>घटाव: वैधानिक लेवी                                 | -<br>-                              | -<br>-                                 |
| अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)   | -                                   | -                                      |
| संचालन से राजस्व (क+ख)   | -                                   | -                                      |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी-25 : अन्य आय

|   | (₹. लाख में)                        |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
| व्याज आय                                  | 146.67                              | 210.94                              |
| म्यूचुअल फंड से लाभांश आय                 | -                                   | -                                   |
| अन्य गैर-परिचालन आय                       | -                                   | -                                   |
| परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ               | -                                   | -                                   |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ               | -                                   | -                                   |
| म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ             | -                                   | -                                   |
| पट्टा किराया                              | -                                   | -                                   |
| दायित्व/प्रावधान वापस लिखा गया (राइट बैक) | -                                   | -                                   |
| उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)                | -                                   | -                                   |
| विविध आय                                  | -                                   | -                                   |
| <b>कुल</b>                                | <b>146.67</b>                       | <b>210.94</b>                       |

टिप्पणी 26: सामग्री खपत की लागत

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| विस्फोटक                  | -        | -        |
| लकड़ी                     | -        | -        |
| तेल और लुब्रिकेंट         | -        | -        |
| एचईएमएम पुर्ज             | -        | -        |
| अन्य उपभोग्य भंडार और पूज | -        | -        |
| <b>कुल</b>                | <b>-</b> | <b>-</b> |

टिप्पणी 27: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक

|  |   |   |
|--|---|---|
| कोयले का प्रारम्भिक स्टॉक  | - | - |
| कोयले का अंतिम स्टॉक   | - | - |
| क. कोयले की सूची में परिवर्तन  | - | - |
| कार्यशाला से तैयार माल, कार्य प्रगति पर और प्रेस कार्य का प्रारम्भिक स्टॉक | - | - |
| कार्यशाला से तैयार माल, कार्य प्रगति पर और प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक      | - | - |
| ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन  | - | - |
| व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (ए+बी) { घटाव / {अभिवृद्धि}}        | - | - |

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| वेतन, मजदूरी, (भत्ते, बोनस आदि सहित)। | 16.96        | 28.81        |
| भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान   | -            | -            |
| कर्मचारी कल्याण व्यय                  | 0.80         | 0.28         |
| <b>कुल</b>                            | <b>17.77</b> | <b>29.09</b> |

टिप्पणी 29: कॉर्पोरेट निगमित उत्तरदायित्व व्यय

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| सीएसआर व्यय | -        | -        |
| <b>कुल</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
सीएसआर से संबंधित टिप्पणी

(₹. लाख में)

|   | 31.03.2022<br>को समाप्त वर्ष<br>के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के<br>लिए |
|---|--|--|
| <b>क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):</b>   |  |  |
| भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन   | -                                      | -                                      |
| विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन  | -                                      | -                                      |
| लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के समक्ष आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय                  | -                                      | -                                      |
| पर्यावरणीय स्थिरता  | -                                      | -                                      |
| राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण  | -                                      | -                                      |
| सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ   | -                                      | -                                      |
| ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | -                                      | -                                      |
| सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान   | -                                      | -                                      |
| इन्क्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान  | -                                      | -                                      |
| विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान  | -                                      | -                                      |
| ग्रामीण विकास परियोजनाएं  | -                                      | -                                      |
| झुग्गी झोपड़ियों का विकास   | -                                      | -                                      |
| राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन   | -                                      | -                                      |
| <b>कुल</b>  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               |
| <b>ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप</b>  |  |  |
| अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:   |  |  |
| (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण   | -                                      | -                                      |
| (ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर  | -                                      | -                                      |
| <b>कुल</b>  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               |

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी 30 : मरम्मतें

|                    | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| भवन                | -                                   | -                                   |
| संयंत्र एवं मशीनरी | -                                   | -                                   |
| अन्य               | -                                   | -                                   |
| कुल                | -                                   | -                                   |

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| परिवहन शुल्क                   | - | - |
| वैगन लोडिंग                    | - | - |
| संयंत्र और उपकरण भाड़े पर लेना | - | - |
| अन्य संविदात्मक कार्य          | - | - |
| कुल                            | - | - |

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| व्याज पर व्यय    |      |      |
| रूट का अनवाईडिंग | -    | -    |
| अन्य उधार लागत   | 3.49 | 2.17 |
|                  | 3.49 | 2.17 |

टिप्पणी 33 : प्रावधान

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| संदिग्ध ऋण             | - | - |
| संदिग्ध अग्रिम और दावे | - | - |
| भंडार एवं पुर्जे       | - | - |
| अन्य                   | - | - |
| कुल                    | - | - |

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते ( गत प्रावधानों का निवेल)

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| संदिग्ध ऋण           | - | - |
| घटाव:- पूर्व प्रदत्त | - | - |
|                      | - | - |
| संदिग्ध अग्रिम       | - | - |
| घटाव:- पूर्व प्रदत्त | - | - |
|                      | - | - |
| अन्य                 | - | - |
| घटाव:- पूर्व प्रदत्त | - | - |
|                      | - | - |
| कुल                  | - | - |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

|  | (₹. लाख में)                        |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के<br>लिए |
| यात्रा व्यय                                    | 0.19                                | 0.42                                   |
| प्रशिक्षण व्यय                                 | -                                   | -                                      |
| टेलीफोन और डाक                                 | -                                   | -                                      |
| विज्ञापन और प्रचार                             | -                                   | -                                      |
| वस्तु भाड़ा प्रभार                             | -                                   | -                                      |
| विलम्ब-शुल्क                                   | -                                   | -                                      |
| सुरक्षा व्यय                                   | -                                   | -                                      |
| एमसीएल के सेवा शुल्क                           | -                                   | -                                      |
| किराया प्रभार                                  | -                                   | 0.10                                   |
| सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार                 | -                                   | -                                      |
| विधि व्यय                                      | -                                   | 0.01                                   |
| परामर्श शुल्क                                  | 5.44                                | 2.67                                   |
| लौडिंग शुल्क के तहत                            | -                                   | -                                      |
| विक्रय/अस्वीकार/सर्वे ऑफ परिसंपत्तियों पर हानि | -                                   | -                                      |
| लेखापरीक्षक का मानदेय और व्यय                  | -                                   | -                                      |
| लेखा परीक्षा शुल्क के लिए                      | 1.06                                | 1.00                                   |
| कर संबंधी मामलों के लिए                        | -                                   | -                                      |
| अन्य सेवाओं के लिए                             | -                                   | -                                      |
| व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए                     | 0.53                                | 0.50                                   |
| आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय                | -                                   | -                                      |
| पुनर्वास शुल्क                                 | -                                   | -                                      |
| किराया   | 1.20                                | 2.40                                   |
| दर और कर                                       | -                                   | -                                      |
| बीमा   | -                                   | -                                      |
| विनिमय दर में अंतर से हानि                     | -                                   | -                                      |
| अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय                         | -                                   | -                                      |
| डेड रेंट / सरफेस रेंट                          | -                                   | -                                      |
| साइडिंग अनुरक्षण शुल्क                         | -                                   | -                                      |
| आर एंड डी व्यय                                 | -                                   | -                                      |
| पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय                    | -                                   | -                                      |
| दान  | -                                   | -                                      |
| विविध व्यय                                     | 1.56                                | 1.06                                   |
| <b>कुल</b>                                     | <b>9.99</b>                         | <b>8.16</b>                            |

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी  
टिप्पणी 36 : कर - व्यय

(₹. लाख में)

|            | 31.03.2022 को<br>समाप्त वर्ष के<br>लिए | 31.03.2021 को<br>समाप्त वर्ष के<br>लिए |
|------------|--|--|
| चालू वर्ष  | 29.01                                  | 43.13                                  |
| आस्थगित कर | -                                      | -                                      |
| पूर्व वर्ष | -                                      | -                                      |
| कुल        | 29.01                                  | 43.13                                  |

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

|   |   |   |
|---|---|---|
| (क) (i) लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मर्दे                   | 0 | 0 |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन  | - | - |
| (ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | - | - |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन  | - | - |
| कुल (क)   | - | - |
| (ख) (i) लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने वाले मर्दे                        |   |   |
| संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर   | - | - |
| (ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा         |   |   |
| संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर   | - | - |
| कुल (ख)   | - | - |
| कुल (क+ख)   | - | - |



एमएनएच शक्ति लिमिटेड

दिनांक 30: 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त विवरणियाँ

1. अपरिमित पत्र

क) आकस्मिक देयताएँ

I. कंपनी पर किए गए होने विनिर्देशों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

₹ लाख में

| विवरण                             | केंद्रीय सरकार | राज्य सरकार और स्थानीय प्रधिकारण | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम | अन्य | कुल |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|-----|
| दिनांक 01-04-2021 तक प्राथमिक शेष |                |                                  |                                     |      | 0   |
| वर्ष के दौरान योग                 | -              | -                                | -                                   | -    | 0   |
| अवधि के दौरान विदाएत हुए दायें    |                |                                  |                                     |      |     |
| घ. प्राथमिक शेष से                | -              | -                                | -                                   | -    | -   |
| ख. वर्ष के दौरान योग से           | -              | -                                | -                                   | -    | -   |
| 31.03.2022 तक अंतिम शेष           | -              | -                                | -                                   | -    | -   |

₹ लाख में

| क्रमांक | विवरण  | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए   | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए     |
|---------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | केंद्रीय सरकार<br>आव का<br>केंद्रीय उत्पाद शुल्क<br>संचय कर्मी उपकर<br>केंद्रीय विक्रय कर<br>सेवा कर<br>अन्य<br>उप-योग   | 336.43<br>-<br>-<br>-<br>0.00<br>- | 336.43<br>-<br>-<br>-<br>556.75<br>- |
| 2       | राज्य सरकार और स्थानीय प्रधिकारण<br>ईंधन<br>परिवहन चंदा<br>विक्रय कर/शेड<br>प्रवेश कर<br>विद्युत शुल्क<br>अन्य<br>उप-योग | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-         | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           |
| 3       | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम<br>यन्त्रावली करवशती<br>कंपनी के अपौर मुहल्लेबाही के विक्रय मुकदमा<br>अन्य<br>उप-योग | -<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-                          |
| 4       | अन्य (वैदि फॉरे)<br>विशेष - पब्लि एवं अन्य<br>कर्मचारी संबंधित और आदि<br>उप-योग  | -<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-                          |
|         | कुल घटा  | 336.43                             | 893.18                               |

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर की मांग की है और इसे विरोध के तहत पेश किया गया तथा सीआईटी (अपील), संजयपुर में आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई।

2. नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति पर सेवा कर का शुभगतान न करने के संबंध में आयुक्त जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राउरकेला द्वारा दिनांक 13.06.2020 को 2, 78, 32, 500 रुपये का सेवा कर मांग आदेश तथा उस पर 2, 78, 42, 500 रुपये का जुर्माना प्राप्त हुआ था और उपरोक्त आदेश के खिलाफ माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता के समक्ष अपील दायर की गई थी। माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता ने 10 नवंबर, 2021 को पूरी मांग को खारिज करते हुए कंपनी के पक्ष में हमारी अपील को अनुमति दी है।

II. नोटें

दिनांक 31.03.2022 को वर्ष की संचयन राशि ₹ 0.00 है।

III. साख पत्र एवं अध्यासन पत्र

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार अनुसार चकाया साख पत्र ₹ 0.00 है और अध्यासन पत्र ₹ 0.00 है।

(ख) प्रतिबन्धित

पूजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं: ₹ 0.00

अन्य प्रतिबन्धित राशि: ₹ 0.00.

2. प्राधिकृत पूंजी

₹ लाख में

|  | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|--|------------|------------|
| प्रत्येक ₹ 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर | 10000      | 10000      |

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

3. संबंधित पार्टी पृष्ठाई

- i) येकनर पूर्व सार्व विधि कक्षा अन्य  
(क) इस्ट  
1) चेत सविता फार्मावे प्रेसलुटे फंड  
2) चोस्ता धार भविष्य विधि (पीएलसीएफ)  
3) चेत सविता भविष्यक साग विधि इस्ट  
4) के-चार्जकारों के लिए संबोधित गंधाके चकारिणुवि पभात विदितला चेतन  
5) चोमार्जल कार्यावाही परिपक्वित गंधाके चेतन इस्ट  
(ख) सरका  
(ग) भाष्टीर चोस्ता प्रवेदन चंकार (गार्मांसीर) - (चंकीयु चंकार)  
(घ) चेत सविता स्पेदरू प्रोमात एलेविखर (चंमार्कसीर) - (चंकीयु चोचकार)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| नाम  | पदवार                   | वे प्रमाणी |
|--|-------------------------|------------|
| श्री के. आर. यासुदेयन ( डीआईएन : 07915732) | अध्यक्ष                 | 06-12-2021 |
| श्री अनिल मलिक (डीआईएन:00170411)           | निदेशक                  | 20-12-2019 |
| श्री आर. विद्यमंग (डीआईएन: 07601778)       | निदेशक                  | 09-08-2018 |
| श्री एस. के. पाल (डीआईएन: 09034709)        | निदेशक                  | 16-01-2022 |
| श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)        | निदेशक                  | 16-01-2022 |
| श्री एस. घोष                               | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 29-09-2021 |
| श्री ए. के. येहरा                          | मुख्य वित्तीय अधिकारी   | 10-01-2020 |
| श्री एस. के. येहरा                         | कंपनी सचिव              | 21-01-2013 |

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का वार्षिक

| क्रमांक | विवरण, वार्षिक निदेशकों की चंकर के चरित्र को पुरकार | (₹ in Lakhs)                   |                                |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|         |   | 31.03.2022 को समाप्त चर के लिए | 31.03.2021 को समाप्त चर के लिए |
| i)      | अन्यकार्मिक चरपाटी साग                              |                                |                                |
|         | चर चेत  | 4.85                           | 20.41                          |
|         | विदितकारी साग                                       | 0                              | 0                              |
|         | अनुभाष और अन्य साग                                  | 0                              | 0                              |
| ii)     | पेसागर धरात साग                                     |                                |                                |
|         | विदित विधि और अन्य विधि में चोचकार                  | 0.00                           | 0.00                           |
| iii)    | समाधि साग   |                                |                                |
|         | कुल   | 4.85                           | 20.41                          |

(v) चरचंकर निदेशकों को पुरकार

| क्रमांक | चरचंकर निदेशकों को पुरकार | (₹ लाख में)                    |                                |
|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|         |                           | 31.03.2022 को समाप्त चर के लिए | 31.03.2021 को समाप्त चर के लिए |
| i)      | चंकर मुखक                 | -                              | 0.00                           |

(vi) दिनांक 31.03.2022 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का चकारा रंग

| क्रमांक | विषय     | (₹ लाख में) |            |
|---------|----------|-------------|------------|
|         |          | 31-03-2022  | 31-03-2021 |
| i)      | इर वणि   | मुद         | मुद        |
| ii)     | प्रच वणि | मुद         | मुद        |

(क)

चंकर के दिनेको का अन्य अधिकारीयो के अला-अला च विधि अन्य चरि के चार संकु रूप वे चोई चकारा च अन्य चरिचं देर नहीं है। चरों का दिने कोरिचो वे च जोई चकारा च अन्य चरचंकर। देर है दिनेच कोई दिनेच कार्मिक, दिनेच क चरर है।

घ. ससु के भीतर संबंधित पार्टी सेरंकर

चेत सविता लिमिटेड ने असरी अनुमति चंकरियों के चार सेर-सेर किच है दिनेच चीर मुखक, पुरचंकर मुखक, पुरा विषय, चरचंकर चंकरियों चर र्छो गां विधि चर चकार और चरु चरके के मारण वे अन्य अनुमति चंकरियों चर च अनधी मोर के किच चर अन्य चर मानित है।

भाष्टीर सेकांकन चरक 24 के अनुचार, चरकरुं सेरंकर की चरुति और वणि के चंकर में दिनेचिति सुकरके किच चर है:

i) अनुमति चंकरियों

दिनांक 31.03.2022 को चकारा रंग रारि और चरके चर सकारा अरुधि के लिए सेरंकर

| संबंधित पार्टी का नाम    | गोरे प्रभा | पुरचंकर मुखक, | चरचंकर साचंरत | चरिचंकरियों की विधि | अनुमतिचंकर चर र्छो चरिचंकरों चर सकार | अन्य     | चरु चरकरा रंग रंर/प्रतिचं | चकारा रंग रंर (रंर)/प्रतिचं |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| चरकरचं चोलेकीरुच विदिनेट |            |               |               |                     |                                      | 3,500.00 | -107.74                   |                             |
| विदितको रंरुदुई चरिदिनेट |            |               |               |                     |                                      | 750.00   |                           |                             |
| चरकरगी सेकर विदिनेट      |            |               |               |                     |                                      | 750.00   |                           |                             |
| कुल                      | चरु अरुधि  | -             | -             | -                   | -                                    | 5,000.00 | -107.74                   | -                           |

अन्य: इर अरुधि के चोच, चंकरों ने चरके 10/- चरके के 5 चोचु रंरुवे चो इर चरके रंरुवे चर मुखक 8510.00 लाख वे चरकर 35 10.00 चरक चरके चर दिनेच है, चरुचित रंर 70% चरि च, 3500.00 लाख और विदितको और चरकरगी चरके चो च 750.00 लाख चर मुखक किच चर।

दिनांक 31.03.2021 के लिए चकारा रंग रारि और चरके चर सकारा अरुधि के लिए सेरंकर

| संबंधित पार्टी का नाम    | गोरे प्रभा | पुरचंकर मुखक, | चरचंकर साचंरत | चरिचंकरियों की विधि | अनुमतिचंकर चर र्छो चरिचंकरों चर सकार | अन्य | चरु चरकरा रंग रंर/प्रतिचं | चकारा रंग रंर (रंर)/प्रतिचं |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| चरकरची चोलेकीरुच विदिनेट |            |               |               |                     |                                      | -    | -83.39                    |                             |
| कुल                      | चरु अरुधि  | -             | -             | -                   | -                                    | -    | -83.39                    | -                           |

घ. चरु चरकरा के दिनेचन में संघारु

चंकरों एक चंकरि चरुचंकरि चरु चर करुण (पीएलसीएफ) है चो चंकर चरकरा इर अरुधिचं चरर चार चरके विदिनेच सेकी है (वेर-16 सेकी)। एक चरकरा इरुं सेके के चरुे चंकरों को संबंदिच पार्टी सेरंकर और चरिचंकर चरकरा चरु चरु ही चरकर के चरु अन्य चरु के चर चरकर चर चरिचं के चंकर में चरकरा चरुचंकरण चरकराचरुं चो चूट चर है। दिनेचतिचं सेरंकर एक ही चरकर के दिनेचन में चंकराचं के चरु चरकर मुखक चर रंर किच चर है।

4. विवरण सूचक

- (क) महत्वपूर्ण सेवा नीतियाँ  
 कंपनी (भारतीय सेवा मानक) विषय, 2015 के उच्च कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमटीए) द्वारा अभिवृद्ध भारतीय सेवा मानकों (भार.से.म.) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई सेवा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सेवा नीति (नेट -2) का मसौदा तैयार किया गया है।
- (ख) सेवा नीति में परिवर्तन  
 वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, महत्वपूर्ण सेवा नीति को खंड 2.11 अगुई संरक्ति और 2.17 कर्मचारी लाभ और 2.23.2 आक्शन और मान्यताएं में संशोधित/पुनः परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
- (ग) हासिल योग्यताएं  
 24 मार्च 2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमटीए) ने एक अभिवृद्ध के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया अनुसूची III के संशोधित विवरण I, II & III 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के खातों से अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों को शामिल किया है।
- (घ) अन्य
- 24 नवंबर 2014 को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्बटन प्रक्रिया को मनवाना और भव्यता को अक्षर बगलें हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोमला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया सातमीर II और III कोमला ब्लॉक, जो 204 कोमला ब्लॉकों का हिस्सा है, का भी आवंटन रद्द कर दिया गया।
  - ii. कोमला खान (विरोध प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, साकार ने पर दिनांक 17 फरवरी 2016 के द्वारा लिए गए सूचना के अनुसार इस कोमला ब्लॉक को नेवेस्ती सिमाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आर्थिक वर्षों में से एक) को आवंटित किया है। भूमि अधिग्रहण, वृद्धिगत कार्य प्राप्ति और अगुई संरक्ति के लिए इसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए कंपनी नमित्त प्राधिकारी, कोमला मंत्रालय के माध्यम से नए आवंटन से पुनर्भावना पाने की इच्छा है। पुनर्भावना कोमला खान (विरोध प्रावधान) अधिनियम के उद्देश्य नमित्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और इसे कंपनी द्वारा परामर्श करीके से प्राप्त किया जाएगा। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और तैलवे साइटिंग आदि के लिए 18.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
  - iii. पिछली अवधि/वर्ष के अंककों को नहीं करी आवश्यक समझा गया, पुनःअर्थिक, पुनर्संरक्ति और पुनर्भावनास्वित्त किया गया है।
  - iv. टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण सेवा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23 दिनांक 31.03.2022 तक पुनर्नयन का हिस्सा है तथा टिप्पणी 24 से 37 उस सारीख को समझ वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

5 उचित मूल्य मापन

(क) भागीदार विधीय मापन

(₹ लाख में)

|                            | 31-03-2022 |                | 31-03-2021 |                |
|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                            | एकजीटीपीएस | पारितोषिक लागत | एकजीटीपीएस | पारितोषिक लागत |
| विधीय पारितोषिकां          |            |                |            |                |
| निवेश :                    |            |                |            |                |
| मूल्यांकन भौतिक            |            | -              |            | -              |
| मूल्यगत फंड/आवेदनी         | -          | -              | -          | -              |
| कम                         |            | -              |            | 0.00           |
| बना पूर्व प्राप्य          |            | 2,433.64       |            | 2,413.73       |
| व्यापार प्राप्य*           |            | -              |            | -              |
| नगद एवं नगद समतुल्य        |            | 1,352.85       |            | 6,262.19       |
| अन्य बैंक शेष              |            | -              |            | -              |
| विधीय देयकार्य             |            |                |            |                |
| उभार                       |            | -              |            | -              |
| व्यापार देय                |            | -              |            | -              |
| प्रतिभूति बना एवं बचत पत्र |            | 1.71           |            | 1.71           |
| भूत देयकार्य               |            | -              |            | -              |
| अन्य देयकार्य              |            | 114.51         |            | 92.84          |

\* बोरोडा मुद्रण विभाग के लिए भाग व्यापार प्राप्य से काटा गया

(ख) उचित मूल्य अनुक्रम

विधीय मापन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु निरूपित गत फैसले एवं अनुक्रम को नीचे दी गई क्रमिकता में दर्शाया गया है, जिसे (अ) उचित मूल्य पर मापन तथा प्रकाशित बाजार है। (ब) पारितोषिक लागत पर मापन बाजार है तथा निरूपित निरूपित विधीय विभागों में उचित मूल्यों का उद्देश्य भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इष्टतम की विचार-विमर्श के बारे में एक उचित प्रयत्न करने हेतु कंपनी ने अपने विधीय मापन को तैयार करने के लिए निर्धारित शून्य स्तरों में विकसित किया है।

| उचित मूल्य पर विधीय संघर्षों और देयकार्यों का मापन | 31-03-2022 |        | 31-03-2021 |        |
|--|------------|--------|------------|--------|
|  | स्तर 1     | स्तर 3 | स्तर 1     | स्तर 3 |
| एकजीटीपीएस, में विधीय पारितोषिकां                  |            |        |            |        |
| निवेश :  |            |        |            |        |
| मूल्यगत फंड/आवेदनी                                 | -          | 0.00   | -          | 0.00   |

(₹ लाख में)

| विधीय पारितोषिकां और देयकार्यों को उचित मूल्य पर मापन बाजार है निरूपित लिए दिनांक 31.03.2022 को उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है। | 31-03-2022 |          | 31-03-2021 |          |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | स्तर 1     | स्तर 3   | स्तर 1     | स्तर 3   |
| विधीय पारितोषिकां  |            |          |            |          |
| निवेश :  |            |          |            |          |
| मूल्यांकन भौतिक  |            | 0.00     |            | 0.00     |
| कम   |            | 0.00     |            | 2413.73  |
| बना पूर्व प्राप्य  |            | 2,433.64 |            | 0        |
| व्यापार प्राप्य*   |            | -        |            | 6,262.19 |
| नगद एवं नगद समतुल्य  |            | 1,352.85 |            | 0        |
| अन्य बैंक शेष  |            | -        |            | -        |
| विधीय देयकार्य   |            |          |            |          |
| उभार   |            | -        |            | -        |
| व्यापार देय  |            | -        |            | 0        |
| प्रतिभूति बना एवं बचत पत्र   |            | 1.71     |            | 1.71     |
| भूत देयकार्य   |            | -        |            | -        |
| अन्य देयकार्य  |            | 114.51   |            | 92.84    |

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्भूत बीजकों का उपयोग करके विधीय मापनों का मूल्यांकन किया गया है। अपने मूल्यगत फंड शामिल है, जिसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आजीव मूल्य (एनएपी) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: ये विधीय उपकरण निरूपित बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन सभ्यता का उपयोग कर किया जाता संभवित है जो कि निरूपित बाजार के सांकेतिक कारोबार को अधिक बहाल है एवं इसी विधि के अनुसार पर कारोबार का निर्धारण है। उचित मूल्य के लिए बाजार कार्य मातृपूर्ण निर्दिष्ट स्तर-2 में उपकरण के पर में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक का अधिक महत्वपूर्ण निर्दिष्ट प्राप्य बाजार के सांकेतिक पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा वह निवेश, मुद्रा बना और स्तर 3 में शामिल अन्य देयकार्यों के मापने में है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

विधीय मापनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में मूल्यगत फंड में निवेश के संघर्ष में उपकरणों के उद्भूत बाजार मूल्य (एनएपी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण उद्देश्यीय अनुपातित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप

बाजार में किया भी अनुपातित उद्देश्यीय निवेश का उपयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ङ) पारितोषिक लागत पर मापन विधीय पारितोषिकां एवं देयकार्यों का उचित मूल्य

व्यापार प्रायियों की सर्वोदय पत्र, अस्वास्थ्य बना, नकद एवं नकद समतुल्य तथा व्यापार पुनर्दान को उनके अस्वास्थ्य के कारण उचित मूल्यों के मापन माता जाता है।

कंपनी मानती है कि "मुद्रा बना" एक महत्वपूर्ण निर्धारण परक के पर में शामिल नहीं है। विन प्राप्यताओं को जोड़कर कंपनी का उद्देश्य बना कर के निरूपित पत्र मुद्रा बना के साथ परामर्श कर ही जाती है। यदि उद्देश्य अनुक्रम के तहत अपने धर्मियों को पूर्ण करने में अधिकतर होके हैं तो उनके मातृकारी पुनर्दान निर्दिष्ट अतिरिक्त विन की रखा करते हैं। उद्देश्य मुद्रा बना भी सेतुदर की लागत को प्राथमिक मान्यता पर उचित मूल्य माता जाता है तथा बाद में उसे पारितोषिक लागत पर माप भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान, विधीय उपकरण विनस परामर्श बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, उनका मूल्यांकन तकनीक की बहाल से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक उद्देश्यीय आधार के अंत में कंपनी, उपर्युक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु एक तकनीक का परत करती है।

6 विधीय जोखिम प्रबंधन

विधीय जोखिम प्रबंधन संरचना एवं नीतियां



वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

| (₹ लाख में)  |                                     |                     |                                       |                            |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| प्रावधान   | 01-04-2021 के अनुसार आदिपत्र संख्या | वर्ष के दौरान जोड़ा | वर्ष के दौरान प्रतिकूल/समाप्त/मुहल्ला | 31.03.2022 को अंतिम संख्या |
| <b>नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:</b>          |                                     |                     |                                       |                            |
| संपत्ति की हानि:                                   |                                     |                     |                                       | -                          |
| नोट 4:- पूंजीगत कार्य में प्रगति                   |                                     |                     |                                       | -                          |
| सी.डब्ल्यू.आइ.पी. से संबंधित:                      |                                     |                     |                                       | -                          |
| <b>नोट 5:- अन्वेषण और अल्पमूल्य परिसंपत्तियां:</b> |                                     |                     |                                       |                            |
| प्रावधान और हानि:                                  |                                     |                     |                                       | -                          |
| <b>नोट 8:- ऋण:</b>                                 |                                     |                     |                                       |                            |
| अन्य ऋण:   |                                     |                     |                                       | -                          |
| नोट 9:- अन्य वित्तीय प्रतिबन्धन                    |                                     |                     |                                       | -                          |
| अन्य ब्याज और प्रावधान                             |                                     |                     |                                       | -                          |
| आवधिकारियों के लिए सुरक्षा ब्याज                   |                                     |                     |                                       | -                          |
| अनुप्री संस्थानों के साथ ब्याज खर्च                |                                     |                     |                                       | -                          |
| धर्म और अन्य प्रतिकूल                              |                                     |                     |                                       | -                          |
| टिप्पणी 11:- अन्य लागू धारित/प्रकार:               |                                     |                     |                                       | -                          |
| इन्वन्ट के लिए अंतर:                               |                                     |                     |                                       | -                          |
| आवधिकार के प्रति कर अधिक भुगतान:                   |                                     |                     |                                       | -                          |
| कार्टून/कार्टों के अन्य अधिक और ब्याज              |                                     |                     |                                       | -                          |
| टिप्पणी 13:- व्यापार प्रावधान:                     |                                     |                     |                                       | -                          |
| अन्य और संविधान ब्याज प्रावधान:                    |                                     |                     |                                       | -                          |
| नोट 21:- गैर-चालू और चालू प्रावधान:                |                                     |                     |                                       | -                          |
| अनुभव ब्याज  |                                     |                     |                                       | -                          |
| वर्ष प्रदर्शन संबंधित प्रावधान                     |                                     |                     |                                       | -                          |
| अन्य धर्मधारि स्तर                                 |                                     |                     |                                       | -                          |
| एच.एस.डी. के लिए अनुभव X के अनुसार प्रावधान        |                                     |                     |                                       | -                          |
| अन्य धर्मधारि स्तर प्रावधान                        |                                     |                     |                                       | -                          |
| आवधिकार/ ब्याज / धर्म धर्म                         |                                     |                     |                                       | -                          |

(ख) प्रति शेयर आय

| वर्ष/विवरण   | 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए | 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| i) प्रिक्टी शेयर होल्डर्स के लिए कर पत्रांत मुक्त आय (₹. लाख में)            | 86.26                            | 128.23                           |
| ii) प्रिक्टी शेयरों की भाँटा ओलगा कटौत                                       | 6,52,36,986                      | 85,10,000                        |
| iii) प्रति शेयर प्रस्ताव आय व ब्याज प्रतिशत (अंतिम मुद्रा ₹.10/- प्रति शेयर) | ₹ 0.13                           | ₹ 0.15                           |

(ग) पूरा

| प्रकार | शेयर का नाम | प्रोविडेंट फंड नाम | पूरे रा. की वर्गीकरण | अनुभव के अनुसार | प्रति शेयर प्रस्ताव | विवरण |
|--------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------|
|        |             |                    |                      |                 |                     |       |

(ग) शेयर और मुद्रा के बारे में प्रस्ताव / अंतिम विवरण के आधार पर शेयर और मुद्रा के बारे में विवरण दिया जाता है।

(घ) शेयरों में किए गए प्रावधान

शेयर धर्म के बारे में ब्याज / ब्याज-मुक्ति / अग्रणी/अग्रणी/अग्रणी के लिए धर्मों में किए गए प्रावधान को संबंधित मुद्दामें को ब्याज करने के लिए पर्याप्त धर्म प्राप्त है।

(च) लागू संविधान, अनुभव और अग्रणी अनुभव

अनुभव के विवरण हैं, अग्रणी/अग्रणी के अंतिम धर्म और गैर-चालू मुद्दों का मुद्रा रूप से ब्याज ब्यवहार के समाप्त अवधि के दौरान बहूली या फिर वा मुद्रा निर्माण किया जा रहा है, के ब्यवहार होता है।

(च) लागू देवगाई

वर्ष आवाधिकार केवल को प्राप्त नहीं कर सकता है वरुन अनुभवित केवल प्रदान की गई है।

(च) अलग-अलग धर्म/धर्म प्रस्ताव :

नो शे धर्म/अग्रणी धर्म/अग्रणी धर्म 11.5, धर्म के साथ अनुभव के धर्म की आवाधिकार के अनुसार धर्मों की आवाधिकार के साथ अनुभव के अलग-अलग धर्म प्रस्ताव प्रस्ताव करती हैं:

| अलग-अलग धर्म/धर्म प्रस्ताव:                   |  |  | (₹ लाख में) |
|---|--|--|-------------|
|   | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए |             |
| <b>चालू या शेयर के प्रकार:</b>                |  |  |             |
| - कोर   | -  | -  | -           |
| - अन्य  | -  | -  | -           |
| <b>शेयरों और अन्य की विधि से प्राप्त धर्म</b> | -  | -  | -           |
| <b>आवधिकार के प्रकार:</b>                     |  |  |             |
| - अनुभव धर्म                                  | -  | -  | -           |
| - गैर-अग्रणी धर्म                             | -  | -  | -           |
| - अन्य या शेयरों                              | -  | -  | -           |
| <b>शेयरों और अन्य की विधि से प्राप्त धर्म</b> | -  | -  | -           |
| <b>संविधान के प्रकार:</b>                     |  |  |             |
| - प्रस्ताव                                    | -  | -  | -           |
| - ई-निर्वाह                                   | -  | -  | -           |
| - अन्य  | -  | -  | -           |
| <b>शेयरों और अन्य की विधि से प्राप्त धर्म</b> | -  | -  | -           |
| <b>लागत का रोग का प्रावधान:</b>               |  |  |             |
| - एक धर्म में ब्याज/विधि की गई शेयरों         | -  | -  | -           |
| - धर्म के साथ ब्याज/विधि की गई शेयरों         | -  | -  | -           |
| - एक धर्म में ब्याज/विधि की गई शेयरों         | -  | -  | -           |
| - धर्म के साथ ब्याज/विधि की गई शेयरों         | -  | -  | -           |
| <b>शेयरों और अन्य की विधि से प्राप्त धर्म</b> | -  | -  | -           |

(ज) अनुपात

| विवरण   | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए | 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए | भिन्नता |
|---|--|----------------------------------|---------|
| (क) चालू अनुपात: चालू अनुपात कंपनी की समग्र दायरे स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू देनदारियों को चालू परिसंपत्तियों से विभाजित करके की गई है।<br># सीएलटीडी शेय में कमी के कारण भिन्नता है।   | 36.7133                                  | 96.7803                          | -62%    |
| (ख) ऋण इयिचटी अनुपात: ऋण इयिचटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इयिचटी से करता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी के तुलन-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इयिचटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इयिचटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।  | 0.0000                                   | 0.0000                           | 0%      |
| (ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फंड की वर्तमान व्याज और फिरोता का गुणवत्ता बरतने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है।<br>ऋण सेवा के लिए आय = कर पघात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिसोधन + व्याज + अन्य समायोजन जैसे अल्पकालीन विक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = व्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन का पुनर्भुगतान "कर पघात शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लागू / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।<br># सीएलटीडी जमा में कमी के कारण भिन्नता है।                  | 25.7423                                  | 60.1631                          | -57%    |
| (घ) इयिचटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इयिचटी फंड की लागतों को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इयिचटी-धारकों के फंड की लागतों का उपयोग कैसे किया गया है। यह इयिचटी-धारकों के प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (कर पघात शुद्ध लाभ कम करीयता लाभों, यदि कोई हो, को आसत शेयरधारक की इयिचटी से विभाजित किया जाता है।)   | 0.0130                                   | 0.0141                           | -8%     |
| (ङ) वस्तु-सूची आवर्त अनुपात: इस अनुपात को स्टोक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई या अवधि के दौरान बिकी गई वस्तुओं की लागत और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके सहयता से कंपनी अपनी वस्तु सूची का उपयोग या प्रबंधन करती है। वस्तु-सूची आवर्त अनुपात की गणना औसत वस्तु-सूची से विभाजित करके बेची गई वस्तुओं की लागत या विक्री के रूप में की जाती है।<br>औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेय / 2)<br>जय वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और अंतिम शेय की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या विक्री को वस्तु-सूची के अंतिम शेय से विभाजित करके की जा सकती है। | 0.0000                                   | 0.0000                           | 0%      |
| (च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्ति को प्रबंधन कर रही है।<br>व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट विक्री / औसत प्राप्य खाते   | 0.0000                                   | 0.0000                           | 0%      |
| (छ) व्यापार देय कारोबार अनुपात: यह इंगित करता है कि एक अवधि के दौरान विशिष्ट लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विशिष्ट लेनदारों को भुगतान हेतु नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा शुद्ध क्रेडिट खरीद को विभाजित करके की जाती है।  | 0.0000                                   | 0.0000                           | 0%      |
| (ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध विक्री को उर्री अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध विक्री / कार्यशील पूंजी<br>शुद्ध विक्री की गणना विशिष्ट रिटर्न को घटाकर कुल विक्री के रूप में की जाएगी।<br>कार्यशील पूंजी की गणना चालू देनदारियों को घटाकर चालू परिसंपत्तियों के रूप में की जाएगी।   | 0.0000                                   | 0.0000                           | 0%      |
| (झ) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और विक्री के बीच संबंध को मापता है।<br>शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध विक्री<br>शुद्ध लाभ कर पघात होगा।<br>शुद्ध विक्री की गणना विशिष्ट रिटर्न को घटाकर कुल विक्री के रूप में की जाएगी।   | 0.0000                                   | 0.0000                           | 0%      |
| (ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और इयिचटी धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूंजी अधिक कुशलता से होगी।<br>आरओसीई = व्याज और कर से पहले की आय / नियोजित पूंजी<br>नियोजित पूंजी = मुल निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता<br># पूंजी में कमी के कारण भिन्नता है।   | 0.029                                    | 0.019                            | 49%     |
| (ट) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी को उर्रकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।  |  |                                  |         |
| (i) गैर-सूचीयद अनुबंधियों में इयिचटी निवेश पर आरओआई: अनुबंधियों की इयिचटी में लाभ/औसत निवेश   | 0.00%                                    | 0.00%                            | 0%      |
| (ii) संयुक्त उपगों में इयिचटी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभ/शेय/जेवी की इयिचटी में औसत निवेश  | 0.00%                                    | 0.00%                            | 0%      |
| (iii) निष्पित आय निवेश (वॉल्यू/डिविडेंड इत्यादि) पर आरओआई = व्याज आय/औसत निवेश  | 0.00%                                    | 0.00%                            | 0%      |
| (iv) म्युचुअल फंड पर आरओआई = लाभ/शेय/पूजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश  | 0.00%                                    | 0.00%                            | 0%      |
| (v) जमावशियों पर आरओआई (आईटीडी सहित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के साथ) = व्याज आय/औसत निवेश   | 3.43%                                    | 3.37%                            | 2%      |

संलग्न हगारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(एस.के.बेहेरा)  
कंपनी सचिव

ह/-  
(ए.के.वेहुरा)  
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-  
(एस. घोष)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-  
ए.के.सिंह  
निदेशक  
डीआईएन: 09501892

ह/-  
के.आर.वासुदेवन  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07915732

दिनांक:  
स्थान:सम्बलपुर

वर्तमान तिथि के हगारी रिपोर्ट के अनुसार  
मेसर्स विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स  
सन्दी लेखाकार  
ह/-  
(सीए विनोद कुमार अग्रवाल)  
साझेदार  
(सदस्यता संख्या. 055209)  
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई